

औषधीय पादप उत्पादों के लिए स्वैच्छिक प्रमाणन

प्रमाणन प्रक्रिया

1. उद्देश्य

खेत में उगाए हुए या जंगल से संग्रहीत औषधीय पादप उत्पादों का उद्देश्यपरक मूल्यांकन तथा प्रमाणन सुनिश्चित करना तथा प्रमाणन स्कीम के संचालन में एकरूपता को प्रोत्साहित करना एवं प्रमाणन निकायों (CBs) व प्रमाणन प्राप्त करने के इच्छुक उत्पादकों/संग्राहकों के मध्य संवाद स्थापित करना।

2. प्रयोजन

इस अभिलेख में गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज़ (GAP) व जंगल में गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेज़ (GFCP) के आधार पर या व्यापारी जैसे मध्यवर्ती व्यक्ति के लिए औषधीय पादपों के प्रमाणन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। उत्पादक / संग्राहक / व्यापारी निम्न में बिंदु 3 के अंतर्गत उल्लेखित चार विकल्पों में से किसी एक के अंतर्गत प्रमाणन प्राप्त कर सकते हैं।

3. GAP प्रमाणन / निरीक्षण के लिए प्रमाणन विकल्प

3.1 प्रमाणन के लिए निम्न विकल्प उपलब्ध होंगे :

स्तर 1: उत्पादकों के लिए अनुलगनक A के अनुसार गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज़ (GAP) तथा संग्राहकों के लिए अनुलगनक B के अनुसार गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेज़ (GFCP) अनुपालन में तथा साथ ही साथ आवश्यकतानुसार TLC प्रोफाइलिंग के द्वारा प्रजातियों की पहचान तथा अनुलगनक D में सूचीबद्ध प्रदूषकों के लिए परीक्षण

स्तर 2: स्तर 1 की ज़रूरतों + औषधीय पौधों के लिए लागू API/UIPI/HPI इत्यादि के अनुसार ज़रूरतों के अनुपालन में

- a) **विकल्प 1** - निजी उत्पादक / संग्राहक प्रमाणन के लिए आवेदन करता है और अपने उत्पादों के लिए प्रमाणन प्राप्त करता है।
- b) **विकल्प 2** - उत्पादक / संग्राहक समूह सामूहिक प्रमाणन के लिए आवेदन करता है और उत्पादक / संग्राहक समूह एक विधिक संस्था/कंपनी के रूप में प्रमाणन प्राप्त करता है।
- c) **विकल्प 3** - अकेला किसान GAP पर आधारित लॉट के अनुसार प्रमाणन मॉडल चुन सकता है जहां वह मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय के समक्ष निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए उत्पाद के लॉट की अनुकूलता का प्रमाणपत्र प्राप्त करता है।
- d) **विकल्प 4** – कोई मध्यवर्ती व्यक्ति जैसे कि व्यापारी प्रमाणित औषधीय पादप उत्पादों के प्रमाणन हेतु आयुष उत्पादों के समुचित भंडारण, बाज़ार या उत्पादकों / संसाधकों को अपूर्तियों के लिए करता है।

3.2 यह स्कीम औषधीय पादप उत्पादों के GAP और GFCP में शामिल उन सभी व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए खुली है जो भारत में विधिक रूप से मान्य व्यक्ति या संस्थाएं हैं।

3.3 औषधीय पादप उत्पादों के प्रमाणन प्राप्त करने से संबंधित सूचना NMPB की वेबसाइट (<http://nmpb.nic.in/>) के साथ-साथ QCI की वेबसाइट (www.qcin.org) पर भी उपलब्ध है।

3.4 प्रमाणन NABCB के द्वारा तथा/या QCI द्वारा संस्तुति के द्वारा ISO/IEC 17065 के अनुसार प्रमाणन स्कीम के लिए विधिवत मान्यता-प्राप्त प्रमाणन निकायों (CBs) द्वारा किया जाएगा। CBs को स्कीम के अंतर्गत कार्य-संचालन के लिए आधिकारिक मान्यता के दायरे में ISO/IEC 17065 के लिए प्रयोजन का विस्तार करने की आवश्यकता होगी।

4. प्रमाणन प्रक्रिया - व्यक्तिगत किसान / संग्राहक के लिए विकल्प 1

4.1 व्यक्तिगत किसान / संग्राहक के प्रमाणन के लिए आवेदनपत्र

4.1.1 कोई ऐसा उत्पादक / संग्राहक जो विधिक व्यक्ति है, मान्यता-प्राप्त प्रमाणन निकाय के समक्ष प्रमाणन के लिए आवेदन कर सकता है।

4.1.2 आवेदन फसलों की बुआई / संग्रहण से पहले किया जाएगा।

4.1.3 प्रमाणन के लिए आवेदन करने वाले उत्पादकों / संग्राहकों से संबंधित समस्त सूचना उत्पादक / संग्राहक के पंजीकृत होने के लिए दर्ज की जाएगी। इस जानकारी का उपयोग एक विशिष्ट ग्राहक संख्या के साथ पंजीकृत पार्टी को आपूर्ति करने के लिए किया जाएगा, जिसका उपयोग सभी प्रमाणन गतिविधियों के लिए एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा।

4.1.4 आवश्यक सूचना उत्पादक / संग्राहक और CB के बीच हस्ताक्षरित प्रमाणन समझौते की सूचना के अनुरूप है। पंजीकृत होने के इच्छुक प्रत्येक उत्पादक / संग्राहक के लिए निम्नलिखित सूचना आवश्यक है:

- i) प्रमाणित किए जाने वाले उत्पादक / संग्राहक का नाम,
- ii) उत्पादन / संग्रहण का वार्षिक क्षेत्रफल,
- iii) कवर किए जाने वाले औषधीय उत्पाद,
- iv) प्रथम कटाई या भविष्य में होने वाली कटाई का विवरण / संग्रहण के समय।

प्रमाणन निकाय सटीक सूचना तैयार करेगा और सार्वजनिक रूप से सटीक जानकारी प्रदान करेगा, जिसमें प्रमाणन प्रदान करने, तैयार करने, विस्तारित करने, नवीनीकरण करने, निलंबित करने या वापस लेने की प्रक्रिया तथा उन भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन होगा जहां वह संचालन कर रहा है। इसमें निम्न सूचनाएं शामिल होंगी :

- a) प्रमाणन मानदंड का संदर्भ,
- b) प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया,
- c) आवेदन प्रपत्र,
- d) आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले अभिलेख,
- e) आवेदन, आरंभिक प्रमाणन तथा प्रमाणन की निरंतरता के लिए शुल्क संबंधी सूचना,
- f) प्रमाणित ग्राहकों के अधिकारों व कर्तव्यों के वर्णन वाला अभिलेख, तथा
- g) शिकायतों व अपीलियों के निस्तारण प्रक्रियाओं से संबंधित सूचना।

4.1.6 CB प्रमाणन के संभावित आवेदकों द्वारा आवेदक के पंजीकरण के संदर्भ में मांगी गई समस्त सूचना, मांगपत्र की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर देगा।

4.1.7 भावी आवेदक प्रमाणन निकाय द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकते हैं, जिसमें निम्न से संबंधित न्यूनतम जानकारी होगी -

- a) आवेदक का नाम, पता तथा संपर्क विवरण,
- b) विधिक व्यक्ति का प्रमाण,
- c) लोकेशन तथा लोकेशन पर धारित कुल भूमि,
- d) भूमि स्वयं के स्वामित्व वाली है या किराए/पट्टे पर ली गई है,
- e) किया जाने वाला उत्पादन,
- f) संबंधित प्रमाणन मानदंड GAP/GFCP, जिसके लिए प्रमाणन की मांग की गई है,
- g) कितने क्षेत्रफल में उत्पादन किया जा रहा है,
- h) कार्य करने वाले लोगों की कुल संख्या तथा उनकी योग्यता,
- i) खेती / संग्रहण वाली भूमि का वार्षिक क्षेत्रफल, तथा
- j) वार्षिक क्षेत्रफल के भीतर, क्षेत्रफल के अनुसार कवर किए जाने वाले औषधीय उत्पाद (अर्थात् कौन सा उत्पाद कितने क्षेत्रफल में है)
- k) उस भूमि पर कितने दिनों से औषधीय पादपों की खेती की जा रही है,
- l) सरकारी विभाग में कोई पंजीकरण (जैसे स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, इत्यादि)

4.1.8 भावी आवेदक आवेदन के साथ अपने संचालन / उत्पाद से संबंधित चलने वाली न्यायिक कार्यवाही, किसी भी नियामक निकाय द्वारा किसी कार्यवाही या किसी भी विनियम या अन्य के अंतर्गत किसी प्रमाणन के निलंबन / निरस्तीकरण / वापसी से संबंधित प्रक्रियाओं की घोषणा करेगा।

4.1.9 प्रमाणन केवल हालिया संबंधित प्रमाणन मानदंडों के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। प्रमाणन निकाय उपरोक्त के लिए आवेदनों की समीक्षा करेगा और उसके लिए निर्णय लेगा।

4.1.10 प्रमाणन के लिए प्राप्त सभी आवेदनों की उपयुक्तता और कमियों के लिए प्रमाणन निकाय द्वारा समीक्षा की जाएगी, और यदि कोई कमी होगी, तो आवेदक को आवेदन प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा। आवेदनों की समीक्षा एक सक्षम व्यक्ति द्वारा की जाएगी। समीक्षा का रिकॉर्ड बनाया जाएगा।

4.1.11 जिन आवेदनों को पूर्ण पाया जाएगा तथा जिनमें समस्त वांछित अभिलेख संलग्न होंगे, उन्हें स्वीकार किया जाएगा और प्राप्ति के क्रम में एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित करके पंजीकृत किया जाएगा, रसीद दी जाएगी तथा रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर पंजीकरण किया जाएगा।

4.1.12 आवेदनों के पूर्ववृत्तों का सत्यापन किया जाएगा। यदि विधिक रूप से दंडित किए गए होंगे, तो दंड की अवधि के दौरान तथा किसी भी मामले में दंडित किए जाने की तिथि से कम से कम एक वर्ष तक उस व्यक्ति से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

4.1.13 किसी भी CB के द्वारा उन किसानों / संग्राहकों के आवेदनों पर निरस्तीकरण के बाद कम से कम एक साल तक विचार नहीं किया जाएगा जिन्होंने पूर्व में प्रमाणन / प्रमाणन चिन्ह का दुरुपयोग किया होगा, या उनका पिछला प्रमाणन नियमों व शर्तों के उल्लंघन के कारण निरस्त किया गया होगा या जिन्होंने प्रमाणन चिन्ह का दुरुपयोग किया होगा।

4.1.14 यदि किन्हीं किसानों / संग्राहकों के आवेदनों पर प्रमाणन प्रदान करने की कार्यवाही के दौरान प्रमाणन / प्रमाणन चिन्ह के दुरुपयोग के बारे में पता चलता है तो उन पर आगे की कार्यवाही रोक दी जाएगी और उन्हें 15 दिन की नोटिस देकर निरस्त कर दिया जाएगा। उनके नए आवेदनों पर उपरोक्त उल्लेखित परिच्छेद 4.1.13 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

4.1.15 पूर्व आवेदकों से प्राप्त होने वाले प्रमाणन के आवेदनों पर नए आवेदन के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी और प्रमाणन प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा।

4.1.16 प्रमाणन निकाय निम्न स्थितियों में आवेदन को निरस्त या बंद कर सकते हैं :

- a) यदि आवेदन के पंजीकरण के छः माह के भीतर आरंभिक मूल्यांकन नहीं किया गया हो,
- b) यदि आरंभिक मूल्यांकन के दौरान लिए गए नमूनों में से 20% से अधिक परीक्षण में विफल रहे हों,
- c) यदि अनवर्ती मूल्यांकन तब किया गया हो जब संगठन ने यह पुष्टि की हो कि आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाहियां संतोषजनक नहीं हैं,
- d) उत्पादन / संग्रहण व निस्तारण के लिए सक्षम कर्मचारी का अभाव होने पर,
- e) यदि किसान / संग्राहक ने आरंभिक मूल्यांकन के तीन माह या आवेदन के पंजीकरण के छः माह के भीतर सुधारात्मक कार्यवाहियों को पूर्ण करने की दिशा में कोई रुचि न दिखाई हो,
- f) प्रमाणन / प्रमाणन चिन्ह का दुरुपयोग होने पर,
- g) अनाचार का साक्ष्य मिलने पर, तथा
- h) यदि आवेदक स्वेच्छा से आवेदन वापस लेना चाहता हो।

4.1.17 आवेदन बंद होने / निरस्त होने पर, आवेदन पत्र के साथ जमा किया गया शुल्क प्रमाणन निकाय द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार वापस कर दिया जाएगा।

4.2 व्यक्तिगत किसान / संग्राहक के लिए प्रमाणन प्रक्रिया

4.2.1 नियंत्रण मानदंड और अनुपालन मानदंड (Control Criteria and Compliance Criteria -CCCC)

संबंधित मानकों पर आधारित नियंत्रण मानदंड तथा अनुपालन मानदंड (Control Criteria and Compliance Criteria- CCCC) जांच सूची (अनुलग्नक A & अनुलग्नक B देखें) जिसका उपयोग आंतरिक तथा बाह्य मूल्यांकन के लिए किया जाएगा।

4.2.2 पूर्व-मूल्यांकन

4.2.2.1 आवेदक पूर्व-मूल्यांकन के इच्छुक हो सकते हैं, जो कि अनिवार्य नहीं है, जिसके दौरान प्रमाणन निकाय आवेदक की मूल्यांकन हेतु तैयारी की स्थिति, तथा सक्षम कर्मचारी की उपलब्धता एवं CCCC पर संग्राहकों के रिकॉर्ड की उपयुक्तता की जांच करेंगे।

4.2.2.2 पूर्व-मूल्यांकन के दौरान प्रमाणन मानदंड के संदर्भ में पाई गई कमियों के बारे में आवेदक को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

4.2.2.3 केवल एक पूर्व-मूल्यांकन होगा।

4.2.3 आरंभिक मूल्यांकन

4.2.3.1 एकल चरण आरंभिक मूल्यांकन सक्षम मूल्यांकन टीम के द्वारा किया जाएगा।

4.2.3.2 आवेदन स्थल पर उत्पाद तथा प्रक्रियाओं का आरंभिक मूल्यांकन आवेदन के पंजीकरण के तीन माह के भीतर किया जाएगा और/या आवेदन संबंधी जरूरतों को संतोषजनक रूप से पूरा किया जाएगा।

4.2.3.3 प्रमाणन निकाय आवेदक के हितों के टकराव या उसके द्वारा टीम संरचना से संबंधित उठाई गई आपत्तियों की पुष्टि के लिए आवेदक को टीम की संरचना तथा आरंभिक मूल्यांकन की अवधि के बारे में सूचित करेगा और ऐसा होने पर प्राथमिक रूप से जांच कराएगा।

4.2.3.4 आरंभिक मूल्यांकन के समय व तिथि का निर्धारण आवेदक की सहमति से किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नियोजित मूल्यांकनों के देखने के लिए दौरान कटाई / संग्रहण जैसे सामान्य मौजूद रहें।

a) निरीक्षण का समय

- i) उत्पादक / संग्राहक का निरीक्षण CB में पंजीकरण के बाद निरीक्षण किए जाने वाले उत्पाद पर निर्भर करता है। समस्त नियंत्रण मानदंडों के मूल्यांकन के लिए आदर्श समय फसल कटाई के दौरान होगा जब पर्याप्त रिकॉर्ड / साक्ष्य उपलब्ध हों, विशेष रूप से फसल कटाई से संबंधित नियंत्रण बिंदुओं के सत्यापन के लिए।
- ii) जहां फसल की कटाई के समय मूल्यांकन नहीं संभव है, वहां वैकल्पिक समय का चयन किया जा सकता है। ऐसे में पहला निरीक्षण फसल की कटाई के पहले या बाद में किया जाता है। वैकल्पिक समय के चयन का कारण उत्पादक / संग्राहक तथा निरीक्षक के लिए समय का अभाव, कटाई की अलग-अलग तिथियां, बारहमासी फसल का अब तक न पका होना इत्यादि हो सकता है। व्यावहारिक रूप से अभिलेखों व दृश्य साक्ष्यों का निरीक्षण की आवश्यकता होती है कि मूल्यांकनकर्ताओं के द्वारा यथासंभव अधिक से अधिक नियंत्रण बिंदुओं को सत्यापित करने के लिए मूल्यांकन यथासंभव फसल की कटाई के आस-पास हो।

b) अनेक उत्पादों के प्रमाणन के लिए पहले निरीक्षण का समय

- i) उत्पादक / संग्राहक एक से अधिक उत्पादों के प्रमाणन के इच्छुक हो सकते हैं, और उन उत्पादों के सीजन का समय भिन्न-भिन्न हो सकता है, अर्थात् यह जरूरी नहीं है कि एक उत्पाद की कटाई का समय, तथा दूसरे उत्पाद के कटाई का समय एक ही हो। विभिन्न औषधीय पादपों के कटाई का समय GFCP मानक के अनुलग्नक F में दिया गया है।
- ii) जहां प्रमाणन प्रयोजन में शामिल औषधीय पादप उत्पाद समवर्ती होते हैं, अर्थात् उनकी कटाई का समय एक ही होता है, तो मूल्यांकन का समय इस तरह से निर्धारित किया जाता है कि कम से कम एक फसल की कटाई चल रही हो, और दूसरी फसल के लिए यह मान लिया जाता है कि वह भी उसी डिग्री के अनुरूप होगी।
- iii) जहां प्रमाणन प्रयोजन में शामिल फसलें क्रमागत होती हैं, अर्थात् एक फसल का उत्पादन समाप्त होने के बाद दूसरी फसल का उत्पादन शुरू होता है, वहां प्रथम वर्ष पहली फसल का पूर्ण मूल्यांकन फसल की कटाई के दौरान होना चाहिए। उसी प्रथम वर्ष में उगाई जाने वाली अनुवर्ती फसलें प्रमाणपत्र में केवल तभी शामिल की जा सकती हैं जब प्रत्येक फसल के लिए स्वीकृति का सत्यापन किया गया हो, वह चाहे प्रत्येक फसल की कटाई के दौरान स्थलीय निरीक्षण के माध्यम से हो या डेटा संग्रहण तथा आवेदक के साथ चर्चा के माध्यम से हो।

4.2.4 मूल्यांकन प्रक्रिया

4.2.4.1 टीम आवेदक के मूल्यांकन के दौरान यथासंभव अधिकतम CCCC कवर करने वाली प्रक्रियाएं देखेगी। मूल्यांकन मानदंडों के संबंध में मूल्यांकन के दौरान देखी गई किसी भी असंबद्धता को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए आवेदक को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा। असमानताओं को उनकी गंभीरता के आधार पर अति महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण या मामूली के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जैसा कि संबंधित मानकों में परिभाषित किया गया है।

4.2.4.2 एक स्वतंत्र प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए एक प्रतिनिधि नमूना तैयार किया जाएगा। चूंकि प्रजातीय भिन्नताओं वाले कई प्रकार के उत्पाद होंगे और प्रमाणन चक्र के दौरान अधिकांश उत्पादों को कवर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। निर्दिष्ट मानदंड का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए और इसे परीक्षण प्रयोगशाला को अवगत कराया जाना चाहिए। नमूनों को विधिवत कोडित किया जाएगा और जहां तक संभव होगा उत्पादक की पहचान को उजागर नहीं किया जाएगा। नमूनों को इस प्रकार से डिस्पैच किया जाएगा कि वे क्षतिग्रस्त, प्रदूषित, विकृत न हों और उत्पाद की शुद्धता बनी रहे और प्रयोगशाला अनुलग्नक D में दी गई विधि के अनुसार प्रदूषकों का परीक्षण करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो TLC प्रोफाइलिंग भी करेगी।

4.2.5 प्रमाणन के लिए अनुरूपता स्तर

4.2.5.1 उत्पादक को प्रमाणन प्राप्त करने के लिए API में निर्दिष्ट संयंत्र ज़रूरतों के अतिरिक्त GAP/GFCP मानकों में निर्दिष्ट अनुरूपता के तीन प्रकारों का अनुपालन करने की ज़रूरत होती है। ये अति महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण तथा मामूली मानदंड हैं जिन्हें प्रमाणन से पहले समस्त संदर्भों में पूर्ण किया जाना चाहिए।

4.2.5.2 अनुरूपता को जांच-सूची (अनुलग्नक A एवं अनुलग्नक B देखें) पर 'हां' (अनुरूपता के लिए) तथा 'नहीं' (अनुरूप नहीं के लिए) के रूप में अंकित किया जाएगा। प्रत्येक नियंत्रण के लिए मानदंड साक्ष्य / टिप्पणियां प्रदान किए जाएंगे - जो घटना के बाद समीक्षा किए जाने वाले लेखा सत्यापन होंगे, और मूल्यांकन के दौरान लिए जाने वाले संदर्भों का विवरण शामिल करेंगे। हालांकि, सभी बाहरी मूल्यांकनों, स्व-मूल्यांकनों तथा आंतरिक मूल्यांकनों में सभी महत्वपूर्ण तथा मामूली अनुरूपताओं के लिए साक्ष्य / टिप्पणियां देना अनिवार्य है।

4.2.5.3 अनुरूपताओं का स्तर निम्न के आधार पर निर्धारित किया जाएगा :

- अतिमहत्वपूर्ण - लागू अतिमहत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदुओं का 100% अनुपालन
- महत्वपूर्ण - लागू महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदुओं के 90% का अनुपालन अनिवार्य
- मामूली - लागू मामूली नियंत्रण बिंदुओं के 75% का अनुपालन अनिवार्य
- प्रदूषकों का अनुपालन (अनुलग्नक D देखें)
- यदि आवश्यक हो तो TLC प्रोफाइलिंग
- आवश्यकतानुसार स्तर 2 प्रमाणन के लिए API/HPI इत्यादि के अनुसार परीक्षण

4.2.5.4 प्रमाणन निकाय सभी प्रमाणन गतिविधियों - आवेदनपत्र का पंजीकरण, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों, स्थलीय मूल्यांकन रिपोर्ट, स्वतंत्र परीक्षण के लिए प्रेषित नमूने/नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट, तथा प्रमाणन प्रदान करने के लिए रिपोर्ट्स का मूल्यांकन तथा समीक्षा, का रिकॉर्ड तैयार करेगा।

4.2.6 आंतरिक स्व-मूल्यांकन गुणवत्ता आश्वासन

व्यक्तिगत उत्पादक / संग्राहक वर्ष में कम से कम एक बार स्व-मूल्यांकन करेगा। यह स्व-मूल्यांकन उत्पादक / संग्राहक की जिम्मेदारी पर किया जाएगा।

स्व-मूल्यांकन लागू प्रयोजनों की पूर्ण जांच-सूची (अतिमहत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण तथा मामूली) के विरुद्ध किया जाएगा। CB मूल्यांकन के दौरान पूर्ण जांच-सूची मूल्यांकनकर्ता द्वारा समीक्षा किए जाने के लिए स्थल पर उपलब्ध होगी।

4.3 प्रमाणन प्रदान किया जाना

4.3.1 प्रमाणन निकाय निम्न सुनिश्चित करने के बाद प्रमाणन प्रदान करेगा :

- a) मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित प्रमाणन मानदंडों (GAP/GFCP) का पूर्ण अनुपालन (4.2.4 और 4.2.5 देखें),
- b) प्रमाणन स्कीम संबंधी ज़रूरतें,
- c) अनुलग्नक D में निर्दिष्ट प्रदूषकों की सीमा का अनुपालन
- d) आवश्यकतानुसार TLC प्रोफाइलिंग,
- e) स्तर 2 प्रमाणन के लिए आवश्यकतानुसार API/HPI इत्यादि के अनुसार परीक्षण के बाद उत्पाद ज़रूरतों की अनुरूपता, तथा
- f) उत्पन्न अवज्ञाओं का संतोषजनक समाधान।

प्रमाणीकरण का कोई सशर्त अनुदान नहीं होगा।

4.3.2 प्रमाणन प्रदान करने के समय, प्रमाणन निकाय किसान / संग्राहक को सूचित करेगा और एक प्रमाणपत्र जारी करेगा जो विशिष्ट रूप से किसान / संग्राहक के लिए संदर्भित होगा तथा उस पर प्रमाणित किए जाने वाले उत्पादों का नाम, जिन प्रमाणन मानदंडों के विरुद्ध प्रमाणन प्रदान किया गया है वे मानदंड, प्रभावित तिथि, वैधता तिथि तथा किसान / संग्राहक के स्थल का नाम व पता उल्लेखित होगा।

4.3.3 प्रमाणपत्र अभिलेख या प्रमाणन के अनुदान को इंगित करने वाले किसी अन्य अभिलेख पर किसी ब्रांड का नाम उल्लेखित नहीं किया जाएगा।

4.3.4 प्रमाणीकरण की प्रभावी तिथि किसान / संग्राहक को प्रमाणन देने के निर्णय की तिथि से पहले की नहीं होगी।

4.3.5 उत्पाद के प्रमाणन का प्रमाण पत्र उत्पाद का प्रमाणन देने के निर्णय की तिथि से 3 साल की अवधि के लिए होगा।

4.3.6 प्रमाणन का प्रयोजन

4.3.6.1 उत्पाद का प्रयोजन उस स्थान से संबद्ध होता है जहां उत्पाद का उत्पादन होता है। पंजीकृत उत्पादक / संग्राहक को खेतों पर / जंगल में प्रमाणपत्र जारी किया जाता है जहां उत्पादों का उत्पादन होता है और उन उत्पादों के लिए जिनकी घोषणा की जाती है। प्रमाणपत्र धारक द्वारा प्रमाणित स्थानों की कानूनी इकाई को घोषित किया जाना चाहिए।

4.3.6.2 घोषित तथा पंजीकृत उत्पादों के उत्पादन / संग्रहण की पूरी प्रक्रिया ज़रूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। प्रमाणित स्थलों को उन उपज वाले क्षेत्रों या प्रबंधन केन्द्रों के रूप में अलग-अलग नहीं किया जा सकता है जो प्रमाणित हैं और उसी उत्पाद के अन्य उपज वाले क्षेत्र या प्रबंधन केन्द्र हैं जिन्हें प्रमाणन से बाहर रखा गया है।

4.4 निगरानी मूल्यांकन

4.4.1 प्रमाणित स्थलों का निगरानी मूल्यांकन साल में कम से कम एक बार किया जाएगा, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दो निगरानी मूल्यांकनों के मध्य एक साल से अधिक का अंतर न हो। प्रमाणन निकाय के पास मान्य कारणों के आधार पर एक माह की रियायत अवधि होती है, जिसके बाद प्रमाणपत्र को निलंबित कर दिया जाएगा। यह निगरानी प्रमाणन वाली फसल की कटाई के आस-पास के समय में किया जाएगा।

4.4.2 मूल्यांकनकर्ता द्वारा पूरी जांच-सूची व सत्यापन की प्रक्रिया वार्षिक रूप से की जाएगी। CB को यह भरोसा दिलाने के लिए कि वर्तमान में कोई अन्य पंजीकृत फसलें नहीं हैं, मूल्यांकित किया जाने वाला खेत या भंडारण का कम से कम एक उत्पाद पंजीकृत होना चाहिए।

4.4.3 प्रमाणन निकाय लागू पूरी CCCC जांच-सूची (अनुलग्नक A और B) का कवरेज सुनिश्चित करेगा जिससे निगरानी मूल्यांकन के दौरान मूलभूत परिचालन तथा उनके नियंत्रण को देखा जा सके। निगरानी की योजना फसल के पकने के समय को दृष्टिगत रखते हुए बनाई जानी चाहिए जिससे यथासंभव फसल की कटाई के समय भ्रमण सुनिश्चित किया जा सके। (देखें

4.2.24)

4.4.3 जिन मामलों में किसान / संग्राहक एक ही प्रमाणपत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अनेक उत्पादों के लिए प्रमाणित होगा, उनमें प्रमाणन निकाय निगरानी मूल्यांकन की इस तरह योजना बनाएगा कि प्रमाणन अवधि के दौरान औषधीय पादप उत्पादों की पूरी रेंज में से अधिकतम को कवर किया जा सके।

4.4.4 मूल्यांकनकर्ता निगरानी मूल्यांकन के दौरान कम से कम निम्न के बारे में जांच करेंगे और रिपोर्ट देंगे :

- a) प्रमाणन मानदंडों की जरूरतों के अनुपालन का स्तर,
- b) आंतरिक स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट,
- c) असदृश उत्पादों का प्रबंधन एवं निस्तारण,
- d) स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए नमूने लेना,
- e) पिछले मूल्यांकन के दौरान देखे गए असदृशताओं के लिए की गई कार्यवाही,
- f) शिकायतों का निस्तारण, यदि कोई है,
- g) उत्पादों के उत्पादन संबंधी सूचना तथा उन प्रेषितियों के नाम जिन्हें प्रमाणित उत्पादों की आपूर्ति की गई है।

4.4.5 यदि कोई असदृशता पाई जाती है, तो उसे अतिमहत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण या मामूली के रूप में वर्गीकृत की जाएगी। असदृशता रिपोर्ट क्लाइंट को संशोधन तथा संशोधनात्मक कार्यवाही के लिए सामान्य रूप से स्थल पर लिखित रूप में प्रदान की जाएगी। उसका विवरण निगरानी मूल्यांकन रिपोर्ट में उल्लेखित किया जाएगा।

4.4.6 CB कारणों का विधिवत उल्लेख करके, जैसे कि शिकायतों की जांच, निर्धारित मानकों का अनुपालन जारी रखने में संदेह इत्यादि, निगरानियों की आवृत्ति में बढ़ोत्तरी कर सकता है।

4.4.7 यदि निगरानी मूल्यांकन की परिणति किसी कारणवश निष्फल दौरे में होती है, तो CB एक और निगरानी मूल्यांकन का आयोजन करेगा। इस तरह के अतिरिक्त मूल्यांकनों के लिए प्रमाणित इकाई से शुल्क लिया जा सकता है जिसका निर्धारण प्रमाणन निकाय करेगा।

4.5 बाजार के नमूने

4.5.1 प्रमाणित उत्पादों के नमूने बाज़ार से खरीदे जाएंगे या संगठित उपभोक्ताओं से प्राप्त किए जाएंगे तथा प्रमाणन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उनका स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में उनका परीक्षण किया जाएगा।

4.5.2 प्रमाणन निकाय प्रत्येक प्रमाणन चक्र के दौरान बाज़ार तथा स्थल से प्रमाणित फसल का कम से कम एक नमूना प्राप्त करेगी जिनमें से 50% नमूने बाज़ार से होने चाहिए। यदि बाज़ार के नमूने उपलब्ध नहीं हैं, तो वे उत्पादकों / संग्राहकों से लिए जा सकते हैं लेकिन इनका उपयोग रिकॉर्ड की गई प्रामाणिकता के साथ निर्यात की स्थितियों में किया जाना चाहिए।

4.5.3 यदि किसान / संग्राहक एक ही प्रमाणपत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अनेक उत्पादों के लिए प्रमाणित है, तो प्रमाणन निकाय बाज़ार से इस तरह से नमूने लेने का प्रयास करता है कि प्रमाणन चक्र के भीतर नमूने लेने में व्यावहारिक रूप से पूरी रेंज कवर की जा सके।

4.5.4 बाज़ार के नमूने मूल पैकेजिंग में लिए जाएंगे, जहां प्रमाणन निकाय द्वारा उत्पादन की व्यवहार्यता व संपूर्णता सुनिश्चित की जाएगी।

4.5.5 बाज़ार से लिए गए प्रमाणित उत्पाद के नमूने की मानदंडों की ज़रूरतों के अनुपालन में विफलता पर उसे जांच, मूल कारण विश्लेषण तथा सूचित किए जाने के 15 दिनों के भीतर सुधारात्मक कार्यवाहियां प्रस्तावित करने के लिए के लिए प्रमाणित इकाई के पास भेजा जाएगा। CB 5 दिनों के भीतर सुधारात्मक कार्यवाहियों के संदर्भ में उत्तर देगा तथा CB से सुधारात्मक उपायों की प्राप्ति के एक माह के भीतर उत्पादक उन सुधारात्मक उपायों का क्रियान्वयन करेगा।

4.5.6 दर्ज की गई विफलता की प्रकृति पर निर्भर करते हुए, CB निम्न में से कोई एक या सभी कार्यवाहियों की संस्तुति कर सकता है -

- उसी समय के आस-पास बाज़ार से उसी उत्पाद के अतिरिक्त नमूने लेना,
- तत्काल अतिरिक्त निगरानी मूल्यांकन की व्यवस्था करना,
- निगरानी मूल्यांकनों की आवृत्ति में बढ़ोत्तरी करना,
- बाज़ार के नमूनों की संख्या में बढ़ोत्तरी करना।

लिए गए निर्णय के बारे में उत्पादक / संग्राहक को अवगत कराया जाएगा।

4.5.7 यदि नमूना फिर से विफल होता है, तो CB पर्याप्त व प्रभावी सुधारात्मक कदम उठाए जाने तक प्रमाणन निलंबित कर सकता है। (देखें 4.6)

4.6 प्रमाणन का निलंबन

4.6.1 प्रमाणन निकाय इकाई को प्रमाणन के निलंबन के लिए कम से कम एक सप्ताह का नोटिस जारी करेगा। गंभीर विफलताओं के मामले में, नोटिस की आवश्यकता नहीं भी हो सकती है।

4.6.2 निलंबन तब जारी किया जाता है, जब :

- दो लगातार नमूने मानदंडों की ज़रूरतों को पूरा करने में असफल रहे हों,
- इन पक्षों में से किसी भी कारणवश दो लगातार निगरानी मूल्यांकनों के दौरान असंतोषजनक कार्यप्रदर्शन पाए जाने पर

:

- c) यदि कोई उत्पादक अपने कुछ (आंशिक) या सभी (पूर्ण) उत्पादों के लिए स्वेच्छा से निलंबन की मांग करता है, तो उसे निलंबन जारी किया जा सकता है।

4.6.3 निलंबन जारी होने के बाद, सुधार और सुधारात्मक कार्यवाही के लिए CB द्वारा अनुमत समयावधि 6 महीने से अधिक नहीं निर्धारित की जाएगी। यदि निलंबन स्वैच्छिक है, तो सुधारों और सुधारात्मक कार्यों की अवधि निर्माता / कलेक्टर द्वारा स्वयं निर्धारित की जाती है, जिसे CB की सहमति होनी चाहिए, लेकिन यह अवधि 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती है।

4.6.4 निलंबन की अवधि के दौरान, उत्पादक पर लोगो/ट्रेडमार्क, लाइसेंस/प्रमाणपत्र या प्रमाणन से संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेज का उपयोग का प्रतिबंध रहेगा।

4.6.5 उत्पादक / संग्राहक इकाई को मूल कारण विश्लेषण करने और उसके समाधान के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्यों की पहचान करने की सलाह दी जाएगी।

4.6.6 प्रमाणन निकाय केवल तभी निलंबन रद्द कर सकता है जब ज़रूरी सुधारात्मक उपाय किए गए हों और प्रमाणन निकाय द्वारा सत्यापित किए गए हों।

4.6.7 निलंबन छः माह की अवधि से अधिक समय तक प्रभावी नहीं रह सकता है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर निलंबन के कारणों का समाधान नहीं किया गया, तो प्रमाणन निरस्त कर दिया जाएगा।

4.7 प्रमाणन का निरस्तीकरण

4.7.1 निरस्तीकरण निम्न की स्थिति में जारी किया जाता है :

- निलंबन जारी होने के बाद उत्पादक पर्याप्त सुधारात्मक कार्यवाही न प्रदर्शित कर पाया हो और छः माह की अवधि पूरी हो गई हो,
- एक प्रयोजन में असंबद्धता होने के कारण उत्पाद की संपूर्णता में संदेह होने पर,
- गंभीर अनुबंधात्मक असंबद्धताएं देखी गई हों।
- प्रमाणित क्लाइंट प्रमाणन के नियमों व शर्तों तथा प्रमाणन स्कीम का उल्लंघन करता है जैसे कि प्रमाणन का निलंबन, अपर्याप्त सुधारात्मक कार्यवाहियां करना, प्रमाणन के लिए मानदंडों के अनुपालन का अभाव इत्यादि।

4.7.2 अनुबंध के निरस्तीकरण के बाद लोगो/ट्रेडमार्क, लाइसेंस/प्रमाणपत्र के उपयोग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाता है।

4.7.3 यदि किसी उत्पादक ने निरस्तीकरण के लिए आवेदन किया है तो वह निरस्तीकरण के बाद 12 माह पूरे होने तक प्रमाणन के लिए फिर से आवेदन नहीं कर सकता है।

4.7.4 आवेदक को या तो सूचित की जाने वाली असंबद्धताओं को दूर करना चाहिए या CB के समक्ष असंबद्धताओं के कारणों का उल्लेख करते हुए अपील करनी चाहिए।

4.7.5 यदि क्लाइंट के परिसर में प्राकृतिक आपदाओं, जैसे कि बाढ़, आग, भूकंप इत्यादि के कारण आगे परिचालन होने की संभावना नहीं है, या परिचालन बंद हो गया है, तो प्रमाणन निकाय प्रमाणित क्लाइंट के अनुरोध पर प्रमाणन निरस्त कर देगा।

4.8 पुनः प्रमाणन

4.8.1 प्रमाणन के परिचालन के कार्यप्रदर्शन पर निर्भर करते हुए प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रमाणपत्र की वैधता बढ़ाई जा सकती है (देखें 4.8.5) लेकिन पुनः प्रमाणन 3 वर्ष की समाप्ति पर ही संभव है।

4.8.2 प्रमाणन निकाय प्रमाणित क्लाइंट को पुनःप्रमाणन की नोटिस उसकी वैधता अवधि की समाप्ति से कम से कम चार माह पहले देगा।

4.8.3 प्रमाणित किसान / संग्राहक पुनःप्रमाणन के लिए निर्धारित प्रारूप पर शुल्क, यदि CB द्वारा कोई निर्धारित किया गया होगा, के साथ प्रमाणन की समाप्ति के कम से कम तीन माह पूर्व आवेदन करेगा।

4.8.4 प्रमाणन निकाय पुनःप्रमाणन के लिए आवेदन करने वाले प्रमाणित क्लाइंट के पुनःप्रमाणन पर निर्णय लेने से पूर्व प्रमाणन चक्र के दौरान प्रमाणन के मानदंडों के अनुपालन के संदर्भ में कार्यप्रदर्शन की समीक्षा करेगा।

4.8.5 समीक्षा निम्न पर आधारित होगा :

- a) निगरानी मूल्यांकन की रिपोर्ट,
- b) असंबद्ध उत्पादों का प्रबंधन तथा विन्यास,
- c) पूर्व वैधता अवधि के दौरान प्रमाणपत्र का कोई निलंबन,
- d) किए गए सुधारात्मक कार्य,
- e) शिकायतें, यदि कोई प्राप्त हुई हों, तथा
- f) प्रतिकूल सूचना, यदि कोई प्राप्त हुई हो।

4.8.6 प्रमाणित क्लाइंट का पुनःप्रमाणन उसके संतोषजनक कार्यप्रदर्शन पर निर्भर करेगा।

4.8.7 कोई सशर्त पुनःप्रमाणन नहीं होगा।

4.8.7 जिन मामलों में प्रमाणित क्लाइंट का कार्यप्रदर्शन संतोषजनक नहीं होगा, उनमें प्रमाणन निकाय कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए पुनःप्रमाणन को रोके रखेगा और सुधारात्मक कार्यवाहियों को प्रभाव में लाने के लिए समय देगा। पुनःप्रमाणन के संदर्भ में निर्णय वैधता तिथि के तीन माह के भीतर लिया जाएगा।

4.8.8 सुधारात्मक कार्यवाहियों का सत्यापन सामान्य रूप से स्थल पर किया जाता है, हालांकि CB पुनःप्रमाणन पर विचार करने से पूर्व उसे बिना स्थल पर जाए सत्यापित कर सकता है।

4.8.9 पुनःप्रमाणन पूर्व प्रमाणपत्र की वैधता तिथि की समाप्ति से मान्य होगा और बीच की अवधि को निलंबन की अवधि माना जाएगा और प्रमाणपत्र पर इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। प्रमाणित इकाई इस अवधि के दौरान प्रमाणन या प्रमाणन के उपयोग का दावा नहीं कर सकेगा।

4.8.10 यदि प्रमाणित इकाई तीन माह के भीतर संतोषजनक कार्यवाही नहीं पूर्ण करती है, तो प्रमाणपत्र की वैधता पिछली वैधता समाप्ति की तिथि से समाप्त मानी जाएगी।

4.9 स्वामित्व / नाम में परिवर्तन करना

4.9.1 स्वामित्व परिवर्तन की स्थिति में, नया स्वामी किसान / संग्राहक स्वामित्व परिवर्तन का साक्ष्य उपलब्ध कराएगा। वह CB को प्रमाणन के लिए परिचालन तथा शुल्कों के भुगतान के संबंध में अनुबंध की स्वीकार्यता भी प्रदान करेगा। जब कोई मौजूदा आवेदक स्वामित्व में परिवर्तन करता है तो भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऐसे परिवर्तनों में स्थल का भ्रमण नहीं किया जाएगा।

4.9.2 नाम परिवर्तन के मामले में, आवेदक / प्रमाणित क्लाइंट CB के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके नाम में परिवर्तन की सूचना देगा और यदि CB संतुष्ट है तो आवेदन पत्र / प्रमाणपत्र में नया नाम उल्लेखित करने की अनुमति देगा।

4.10 प्रयोजन का विस्तार

4.10.1 अतिरिक्त उत्पाद को शामिल करने के लिए प्रमाण पत्र के दायरे का विस्तार होगा और उसी प्रमाण पत्र के अंतर्गत किस्मों की जांच यह सुनिश्चित करने के बाद की जाएगी कि प्रमाणित ग्राहक के पास नए उत्पाद/ प्रजाति और तकनीकी कौशल के लिए आवश्यक संसाधन हैं जैसा कि उस विशेष उत्पाद की खेती के लिए मूल्यांकित किया गया है और शामिल की जाने वाली नई प्रजातियों के नमूनों के स्वतंत्र परीक्षण पर पाया गया हो कि वे मानदंडों की ज़रूरतों का अनुपालन करते हैं।

4.10.2 किसी भी गलत निरूपण या गलत व्याख्या से बचने के लिए प्रमाणपत्र दस्तावेज़ में प्रयोजन के विस्तार का समावेशन की जाने वाली तिथि के साथ स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। समावेश की तिथि से प्रमाण पत्र की वैधता पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वह अपरिवर्तित रहेगी।

4.11 प्रमाणपत्र

4.11.1 CB प्रमाणित क्लाइंट को जो प्रमाणन अभिलेख प्रदान करेगा, वह स्पष्ट रूप से निम्न की पहचान प्रदान करता है या उसकी अनुमति देता है :

- a) क्लाइंट का नाम और उसकी भौगोलिक अवस्थिति,
- b) प्रमाणन प्रदान करने, विस्तारित करने या नवीनीकरण की तिथियां,
- c) पुनःप्रमाणन चक्र के सापेक्ष समाप्ति की तिथि या पुनःप्रमाणन की नियत तिथि,
- d) विशिष्ट पहचान कोड,
- e) निर्गम संख्या तथा/या पुनरीक्षण, जिसके विरुद्ध उत्पाद प्रमाणित हैं, सहित प्रमाणन मानदंड,
- f)
- g) चिन्हित स्थल पर लागू उत्पादों के संदर्भ में प्रमाणन का प्रयोजन,
- h) प्रमाणन निकाय का नाम, पता व प्रमाणन चिन्ह; अन्य चिन्हों (जैसे कि मान्यता प्रतीक) का उपयोग किया जा सकता है बशर्ते वे भ्रामक व अस्पष्ट न हों।
- i) प्रमाणन के लिए प्रयुक्त प्रमाणन मानदंडों द्वारा बांछित कोई अन्य सूचना,
- j) किन्हीं संशोधित प्रमाणन अभिलेखों को जारी करने की स्थिति में, संशोधित अभिलेखों को किन्हीं पूर्व अप्रचलित अभिलेखों से अलग करने के साधन

4.11.2 प्रमाणन अभिलेख पर प्रभावी तिथि, प्रमाणन/पुनःप्रमाणन के निर्णय की तिथि से पूर्व की तिथि नहीं होगी।

4.11.3 औपचारिक प्रमाणन के अभिलेखन में प्रमाणन निकाय के उन व्यक्तियों के हस्ताक्षर शामिल होंगे जिन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई होगी।

4.12 शुल्क

4.12.1 क्लाइंट से स्कीम की विभिन्न गतिविधियों के लिए इकाइयों, भौगोलिक स्थिति, इकाई के आकार के बीच कोई भेदभाव किए बिना, शुल्क लिया जाएगा।

4.12.2 CB का शुल्क संबंधी विवरण सार्वजनिक रूप से अधिगम्य होगा और अनुरोध पर प्रदान भी किया जाएगा।

4.12.3 CB प्रमाणन प्रदान करने से पूर्व क्लाइंट से अपनी शुल्क संरचना की सूचना देगा तथा उसकी सहमति भी लेगा। जब भी कभी शुल्क संरचना में कोई बदलाव होगा, तो उसकी सूचना प्रमाणन स्कीम के अंतर्गत प्रमाणित सभी आवेदकों और क्लाइंट्स को उनकी स्वीकृति के लिए प्रदान की जाएगी।

5. प्रमाणन प्रक्रिया - विकल्प 2 सामूहिक उत्पादक

5.1 सामूहिक प्रमाणन की अवधारणा

5.1.1 समूह को उत्पादक एक संस्था के तौर पर एक कानूनी संस्था के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। इस विधिक संस्था पर उत्पादों के उत्पादन, रखरखाव और स्वामित्व की अंतिम जिम्मेदारी होगी, इस प्रकार यह मानक के अनुपालन के लिए जिम्मेदार है। विधिक संस्था एक संविदात्मक संबंध में प्रवेश करेगी और उसके पास अनुमोदित CB के साथ प्रमाणन अनुबंध होगा, और वह प्रमाणपत्र का एकमात्र धारक बन जाएगी।

5.1.2 उत्पादक समूह की प्रशासनिक संरचना को अभिलेखित किया जाएगा और यह उत्पादकों व विधिक संस्था के मध्य संबंध को स्पष्ट रूप से चिन्हित करेगी। प्रत्येक उत्पादक और उत्पादक समूह के मध्य लिखित रूप से हस्ताक्षरित अनुबंध होंगे। अनुबंधों में निम्न घटकों को शामिल किया जाएगा :

- i) उत्पादक का नाम या राजकोषीय पहचान,
- ii) संपर्क किया जा सकने वाला पता,
- iii) व्यक्तिगत उत्पादन अवस्थितियों का विवरण,
- iv) मानक संबंधी ज़रूरतों के अनुपालन की प्रतिबद्धता,
- v) समूह की अभिलेखित प्रक्रियाओं, नीतियों के अनुपालन का अनुबंध, तथा
- vi) कोई अन्य आंतरिक ज़रूरत जिसे पूरा न किया गया हो।

5.1.3 उत्पादक समूह मानक के अनुपालन के में सभी सदस्य उत्पादकों तथा उत्पादन के लिए प्रयुक्त होने वाले समस्त मान्य स्थलों का एक रजिस्टर तैयार करेगा। उत्पादक रजिस्टर में मौजूद ये सभी सदस्य व्यक्तिगत रूप से पंजीकृत होने चाहिए तथा उनकी प्रविष्टि उत्पादक समूह के अनुबंध में होनी चाहिए। रजिस्टर में प्रत्येक उत्पादक की कम से कम निम्न सूचना अवश्य होनी चाहिए :

- i) उत्पादक का नाम,
- ii) संपर्क सूत्र का नाम,
- iii) पूर्ण पता (रिहायशी व डाक)
- iv) संपर्क माध्यम (टेलीफोन नंबर तथा ई-मेल व/या फैक्स नंबर),
- v) अन्य पहचान पत्र (जीएसटी, आधार, बैंक नंबर, पैन इत्यादि)
- vi) पंजीकृत उत्पाद,
- vii) भूमि का क्षेत्रफल जिसमें उगाया/उत्पादन किया जाना है तथा/या प्रत्येक पंजीकृत उत्पाद की मात्रा,

- viii) आंतरिक ऑडिट की तिथि,
- ix) उत्पादक के समूह से संबद्ध होने की तिथि,
- x) पूर्व में किया गया कोई अनुमोदन तथा उसकी वापसी,
- xi) किसी सरकारी विभाग में उत्पादक का पंजीकरण (स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड इत्यादि)

5.2 सामूहिक केन्द्र का गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र

5.2.1 प्रबंधन एवं संगठन

उत्पादक समूह के पास यह प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने के लिए कि उनके उत्पादन स्थलों पर पंजीकृत उत्पादक GAP की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रबंधन ढांचा और समुचित रूप से प्रशिक्षित संसाधन होंगे। समूह का संगठनात्मक ढांचे का अभिलेखन किया जाएगा और उसमें निम्न शामिल होंगे :

- i) GAP प्रबंधन प्रतिनिधि - समूह में GAP के क्रियान्वयन के प्रबंधन हेतु जिम्मेदार व्यक्ति।
- ii) आंतरिक निरीक्षक - प्रत्येक उत्पादक के आंतरिक निरीक्षण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति।
- iii) समूह का सदस्य - आंतरिक समूह निरीक्षक के लिए निर्धारित GAP ज़रूरतों के अनुपालन हेतु।
- iv) आंतरिक ऑडिटर - गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र तथा आंतरिक समूह ऑडिटर के लिए निर्धारित GAP ज़रूरतों के अनुपालन हेतु जिम्मेदार व्यक्ति
- v) कृषि तकनीकी व्यक्ति - समूह को तकनीकी सलाह देने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति।
- vi) गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र (QMS) से संबंधित व्यक्ति – गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र के प्रबंधन हेतु जिम्मेदार व्यक्ति।

नोट: समूह में कम से कम एक आंतरिक ऑडिटर की ज़रूरत होती है जो आंतरिक समूह निरीक्षक एवं आंतरिक ऑडिटर के कार्यों की निगरानी कर सके। यदि केवल एक आंतरिक ऑडिटर है जो निरीक्षण भी करता है, तो QMS में चिह्नित अन्य व्यक्ति को उत्पादक के आंतरिक निरीक्षणों को स्वीकृति देनी चाहिए।

5.2.2 दायित्व एवं कर्तव्य

GAP ज़रूरतों के अनुपालन से जुड़े सभी कर्मियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को प्रलेखित किया जाएगा, और उस व्यक्ति को जो समग्र जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में सेवा करने के लिए पर्याप्त वरिष्ठता और संसाधन रखता है, GAP प्रमाणन तैयार करने के लिए नामित किया जाएगा।

5.2.3 कर्मचारियों की योग्यता एवं प्रशिक्षण

- i) समूह सुनिश्चित करेगा कि GAP मानकों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार सभी कर्मचारी समुचित रूप से प्रशिक्षित हों और निर्धारित योग्यता ज़रूरतों को पूरा करते हों। उनके पास कृषि विज्ञान में डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए तथा उन्हें उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित भी होना चाहिए।
- ii) प्रमुख कर्मियों के लिए सक्षमता ज़रूरतों, प्रशिक्षण एवं योग्यताओं का प्रलेखन किया जाएगा और किन्हीं निर्धारित सक्षमता ज़रूरतों को पूरा करेंगी।

- iii) सक्षमता के प्रदर्शन हेतु GAP ज़रूरतों के अनुपालन में सभी प्रमुख कर्मियों (प्रबंधक, ऑडिटर, निरीक्षक इत्यादि) के लिए योग्यताओं तथा प्रशिक्षण का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।
- iv) आंतरिक ऑडिटर तथा निरीक्षक को अपने दृष्टिकोण में निरंतरता तथा मानकों की व्याख्या सुनिश्चित करने के लिए जॉब ऑडिट/निरीक्षणों से संबंधित प्रशिक्षण व मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
सिस्टम यह प्रदर्शित करेंगे कि प्रमुख कर्मियों को GAP मानकों के अनुपालन से संबंधित विकास, मसलों तथा विधिक परिवर्तनों के बारे में सूचित किया गया है और उन्हें उनकी पर्याप्त जानकारी है।

संदर्भ - लेखा परीक्षण प्रबंधन तंत्र के लिए ISO 19011-2011 दिशानिर्देश

5.2.4 गुणवत्ता नियमावली

5.2.4.1 समूह के पास गुणवत्ता नियमावली होगी जिसमें न्यूनतम के रूप में निम्न होगा :

- i) GAP मानकों से संबंधित प्रलेखित परिचालन तथा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियां
- ii) जीएपी मानकों की मूल ज़रूरतों के समूह के नियंत्रण को प्रदर्शित करने के लिए नीतियां और प्रक्रियाएँ पर्याप्त रूप से विस्तृत होंगी।
- iii) उत्पादक समूह, पंजीकृत सदस्यों तथा प्रमुख कर्मियों के लिए संबंधित प्रक्रियाएं तथा नीतियां उपलब्ध रहती हैं।
- iv) गुणवत्ता नियमावली की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह GAP मानकों और उत्पादक समूह की ज़रूरतों को पूरा करता है।
- v) निर्दिष्ट समयावधि में आस्तित्व में आने वाले GAP मानकों के संबंधित संशोधनों का समावेशन।

5.2.5 अभिलेख नियंत्रण

5.2.5.1 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (QMS) अभिलेख

GAP अनुपालन के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (QMS) के परिचालन से संबंधित समस्त अभिलेखने पर्याप्त रूप से नियंत्रित होगा। इस अभिलेखन में निम्न शामिल होगा :

- i) गुणवत्ता नियमावली
- ii) GAP परिचालन प्रक्रियाएं
- iii) कार्य संबंधी निर्देश
- iv) रिकॉर्डिंग फॉर्म
- v) बाह्य मूल के संबद्ध अभिलेख।

5.2.5.2 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली अभिलेख नियंत्रण ज़रूरतें

- i) अभिलेखों के नियंत्रण को परिभाषित करने के लिए एक लिखित प्रक्रिया होगी।

- ii) जारी करने व वितरण से पूर्व अधिकृत कर्मचारी द्वारा समस्त अभिलेखन की समीक्षा की जाएगी तथा अनुमोदित किया जाएगा।
- iii) समस्त नियंत्रित अभिलेखों को एक जारी संख्या, जारी तिथि/समीक्षा तिथि से निर्दिष्ट किया जाएगा तथा उनमें समुचित रूप से पृष्ठांकित किया जाएगा।
- iv) इन अभिलेखों के वितरण से पूर्व उनमें किए जाने वाले किसी बदलाव की अधिकृत कर्मचारी द्वारा समीक्षा की जाएगी तथा उसका अनुमोदन किया जाएगा।
- v) समस्त संबद्ध अभिलेखन की प्रति हर उस स्थान पर उपलब्ध होगी जहां QMS को नियंत्रित किया जा रहा होगा।
- vi) यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र होगा कि अभिलेखन की समीक्षा की जाए और नए अभिलेख जारी करने के बाद, पुराने अभिलेखों को प्रभावी रूप से निरस्त किए जाए।

5.2.6 रिकॉर्ड

- i) समूह GAP गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की ज़रूरतों के प्रभावी नियंत्रण और GAP मानक की ज़रूरतों के अनुपालन के लिए रिकॉर्ड तैयार करेगा।
- ii) GAP गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की ज़रूरतों के अनुपालन से संबंधित QMS के रिकॉर्ड कम से कम 3 वर्ष के लिए रखे जाएंगे।
- iii) रिकॉर्ड वास्तविक, स्पष्ट, होने चाहिए, उपयुक्त स्थितियों में भंडारित व अनुरक्षित होने चाहिए तथा आवश्यकतानुसार निरीक्षण के लिए उपलब्ध होने चाहिए।
- iv) ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखे हुए रिकॉर्ड मान्य होंगे। यदि हस्ताक्षर की आवश्यकता है, तो यह एक पासवर्ड या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर हो सकता है जो कि विशिष्ट संदर्भ तथा हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का प्राधिकार सुनिश्चित करता है। यदि जिम्मेदार व्यक्ति के लिखित हस्ताक्षर की ज़रूरत है तो उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड CB के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहना चाहिए। हर समय बैक-अप उपलब्ध रहना चाहिए।

5.2.7 शिकायत निस्तारण

- i) समूह के पास ग्राहकों की शिकायतों का प्रभावी प्रबंधन तंत्र होगा।
- ii) एक प्रलेखित प्रक्रिया होगी जिसमें यह वर्णन **होगा** कि शिकायतों को कैसे प्राप्त किया जाएगा, पंजीकृत किया जाएगा, चिन्हित किया जाएगा, उनकी जांच की जाएगी, कार्यवाही के बारे में जानकारी ली जाएगी और उनकी समीक्षा की जाएगी।
- iii) यह प्रक्रिया आवश्यकतानुसार ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी।
- iv) इस प्रक्रिया में समूह तथा व्यक्तिगत उत्पादकों दोनों की शिकायतों से संबंधित विवरण होगा।

संदर्भ - ISO 10002:2004 गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र - संगठन में शिकायत निस्तारण के लिए दिशानिर्देश

5.2.8 आंतरिक ऑडिट एवं निरीक्षण

आंतरिक ऑडिट सिस्टम प्रलेखित QMS के अनुपालन व पर्याप्तता के मूल्यांकन तथा उत्पादक के खेतों व GAP मानकों के निरीक्षण दोनों के लिए होगा।

5.2.8.1 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली ऑडिट

आंतरिक ग्रुप ऑडिटर के लिए निर्धारित GAP ज़रूरतों के अनुपालन में आंतरिक ऑडिटर QMS का ऑडिट करेगा।

- i) स्कीम के लिए QMS का ऑडिट वार्षिक आधार पर किया जाएगा।
- ii) आंतरिक ऑडिटर उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित तथा ऑडिट की जा रहे क्षेत्र के प्रति निष्पक्ष होंगे।
- iii) CB आंतरिक ऑडिट के दौरान आंतरिक ऑडिटर की सक्षमता का मूल्यांकन करेगा।
- iv) आंतरिक ऑडिट प्लान, ऑडिट के निष्कर्षों तथा ऑडिट के परिणामस्वरूप सुधारात्मक कार्यवाहियों के स्तर का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और उपलब्ध होगा।

नोट : उस व्यक्ति को इस बात की अनुमति है कि वह समूह में आरंभिक रूप से QMS विकसित करे, और फिर ज़रूरी वार्षिक QMS ऑडिट करे, हालांकि जो व्यक्ति दिन-प्रतिदिन जारी QMS के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, उसे अनुगामी वार्षिक आंतरिक QMS ऑडिट करने की अनुमति नहीं है।

5.2.8.2 उत्पादक एवं उत्पादन स्थल का निरीक्षण

आंतरिक निरीक्षक आंतरिक समूह निरीक्षक के लिए निर्धारित GAP ज़रूरतों के अनुपालन में खेतों के निरीक्षण के लिए जिम्मेदार होंगे :

निरीक्षण प्रत्येक पंजीकृत उत्पादक और उत्पादन स्थल पर वर्ष में कम से कम एक बार GAP चेकलिस्ट (अनुलग्नक C देखें) के आधार पर किया जाएगा। सभी अतिमहत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण तथा मामूली नियंत्रण बिंदुओं का पूरा निरीक्षण किया जाना चाहिए।

- i) निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा उत्पादक की स्थिति की समीक्षा की प्रक्रिया होगी।
- ii) समूह के नए सदस्यों को GAP पंजीकृत उत्पादक सूची में शामिल करने से पहले उनका सदैव आंतरिक रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिए।
- iii) मूल निरीक्षण प्रतिवेदन और लेख तैयार किए जाएंगे और आवश्यकतानुसार CB के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।
- iv) निरीक्षण प्रतिवेदन में निम्न सूचना शामिल होगी :

- a) पंजीकृत **उत्पादक** तथा उत्पादन स्थलों की पहचान
- b) पंजीकृत **उत्पादक** का हस्ताक्षर
- c) निरीक्षण की तिथि
- d) निरीक्षक का नाम
- e) पंजीकृत उत्पाद
- f) प्रत्येक GAP नियंत्रण बिंदु के विरुद्ध मूल्यांकन का परिणाम
- g) चेकलिस्ट के समस्त अतिमहत्वपूर्ण एवं प्रमुख बिंदुओं को
- h) चेकलिस्ट के सभी महत्वपूर्ण और प्रमुख बिंदुओं में, चेकलिस्ट के टिप्पणी अनुभाग में सत्यापित विवरण शामिल होना चाहिए, ताकि घटना के बाद ऑडिट ट्रेल की समीक्षा की जा सके।

- i) चिन्हित किए गए गैर-अनुपालन का विवरण, यदि कोई हैं, तथा सुधारात्मक कार्यवाही के लिए प्रदान की गई समयावधि,
- j) GAP की स्थिति
- k) निरीक्षित फसल के लिए हार्वेस्ट विंडोज़
- l) लोकेशन पर भूमि की कुल मात्रा
- m) मौजूदा फसल के लिए प्रयुक्त पादप सुरक्षा रसायनों की सूची
- n) पूर्व में उत्पादक पर लगाया गया कोई अनुमोदन जिसे बाद में वापस ले लिया गया हो
- o) निरीक्षण से पहले 12 माह की अवधि में बेचा गया उत्पाद।

(vii) आंतरिक ऑडिटर / ऑडिट टीम द्वारा आंतरिक निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि उत्पादक GAP ज़रूरतों का अनुपालन कर रहा है या नहीं।

5.2.8.3 अवज्ञाएं एवं सुधारात्मक कार्य प्रणाली

- i) गैर-अनुपालनों और सुधारात्मक कार्यों के प्रबंधन के लिए एक प्रक्रिया होगी जो आंतरिक या बाहरी ऑडिट और/या निरीक्षणों, ग्राहक शिकायतों या क्यूएमएस की विफलताओं के परिणामस्वरूप हो सकती है।
- ii) समूह द्वारा या इसके सदस्यों द्वारा QMS की अवज्ञाओं की पहचान और मूल्यांकन के लिए प्रलेखित प्रक्रियाएं होंगी।
- iii) गैर-अनुपालन के बाद सुधारात्मक कार्यवाहियों का मूल्यांकन किया जाएगा और कार्यवाही के लिए समय सीमा निर्धारित की जाएगी।
- iv) सुधारात्मक कार्यवाहियों के क्रियान्वयन तथा विश्लेषण का दायित्व परिभाषित किया जाएगा।

5.2.9 उत्पाद के बारे में जानना और पृथक्करण

- i) उत्पाद GAP मानक की ज़रूरतों को पूरा करता है और उसका विपणन इस तरह से किया जाता है कि इसके बारे में पता लगाया जा सकता है और इसे गैर-जीएपी अनुमोदित उत्पादों के साथ मिलने से रोका जा सके।
- ii) पंजीकृत उत्पाद की पहचान और प्रयोज्य उत्पादन स्थलों के अनुरूपता व गैर-अनुरूपता वाले सभी उत्पादों में ट्रेसिबिलिटी को सक्षम बनाने के लिए एक प्रलेखित प्रक्रिया होगी। कानूनी इकाई के भीतर अनुपालन का प्रदर्शन करने के लिए एक सामूहिक संतुलन अभ्यास किया जाना चाहिए।
- iii) उत्पाद प्रबंधन स्थल न प्रक्रियाओं का संचालन करेगा जो पंजीकृत उत्पाद को रसीद से प्रबंधन, भंडारण तथा डिस्पैच के माध्यम से पहचान करने योग्य तथा पता लगाने योग्य बनाती हैं।
- iv) गलत लेबल लगने या GAP प्रमाणित व बिना GAP प्रमाणित उत्पादों की मिलावट को रोकने के लिए प्रभावी तंत्र तथा प्रक्रियाएं होंगी।

5.2.10 प्रतिबंध तथा असमरूपताएं

- i) समूह अपने उत्पादकों के साथ प्रतिबंधों तथा असमरूपताओं के तंत्र का संचालन करेगा।
- ii) व्यक्तिगत उत्पादकों के साथ किए जाने वाले अनुबंधों में प्रतिबंध के साथ-साथ चेतावनी, निलंबन तथा निरस्तीकरण के स्तरों की प्रक्रियाओं का उल्लेख होगा।
- iii) समूह में पंजीकृत या उत्पादकों के निलंबन या निरस्तीकरण के तुरंत बाद GAP अनुमोदित प्रमाणन निकाय को सूचित करने के लिए तंत्र होगा।
- iv) अनुवर्ती सुधारात्मक कार्यवाहियों तथा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं सहित सभी अनुमोदनों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।

5.2.11 प्रमाणित उत्पाद की वापसी

- i) पंजीकृत उत्पाद की वापसी के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रलेखित प्रक्रियाएं होंगी।
- ii) प्रक्रियाएं उन घटनाओं को चिन्हित करेंगी जिनकी परिणति वापसी में हो सकती है, उन व्यक्तियों को चिन्हित करेंगी जो उत्पाद की संभावित वापसी के बारे में निर्णय लेने हेतु जिम्मेदार हैं, उस तंत्र को चिन्हित करेंगी जो ग्राहकों तथा प्रमाणन निकाय को सूचित करेगा; तथा स्टॉक के मिलान करने की विधियों को चिन्हित करेंगी।
- iii) . प्रक्रिया का संचालन किसी भी समय किया जा सकेगा।
- iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह प्रक्रिया प्रभावी है और परीक्षण के रिकॉर्ड को बनाए रखा जाए, इसका समुचित परीक्षण कम से कम वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

5.2.12 उपठेकेदार

- i) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं मौजूद होंगी कि किसी तीसरे पक्ष को उपठेके पर दी जाने वाली सेवाएं GAP मानकों की ज़रूरतों के अनुपालन में हों।
- ii) प्रदर्शित करने के लिए यह रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा कि उपठेकेदार की सक्षमता का मूल्यांकन किया गया है और वह मानकों की ज़रूरतों को पूरा करता है।
- iii) उपठेकेदार समूह के QMS और संबद्ध प्रक्रियाओं के अनुपालन में कार्य करेंगे और यह सेवा स्तर के अनुबंधों या समझौतों में निर्दिष्ट किया जाएगा।

5.3 समूह प्रमाणन के लिए आवेदन

5.3.1 एक विधिक संस्था बनाने वाला उत्पादक समूह किसी मान्यताप्राप्त प्रमाणन निकाय के पास प्रमाणन के लिए आवेदन कर सकता है। वह उत्पादक समूह जो समूह के पंजीकृत उत्पादक सदस्यों के पूरे समूह में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अनुप्रयोग को सक्षम बनाता है, GAP ज़रूरतों का एक समान तरीके से अनुपालन करता है। उत्पादक समूह पंजीकृत सदस्यों को अपने संबंधित उत्पादन स्थलों के लिए विधिक रूप से जिम्मेदार होना चाहिए।

5.3.2 प्रमाणन के लिए आवेदन करने वाले उत्पादक समूह को पंजीकृत होने के इच्छुक उत्पादक समूह के रूप में उल्लेखित किया जाना चाहिए। इस जानकारी का उपयोग विशिष्ट ग्राहक संख्या वाले पंजीकृत पक्ष को आपूर्ति करने के लिए किया जाएगा, जिसका उपयोग सभी प्रमाणन गतिविधियों के लिए एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा।

5.3.3 उत्पादक पंजीकरण सूचना

आवश्यक जानकारी उत्पादक और CB के बीच हस्ताक्षरित प्रमाणन समझौते की जानकारी के अनुरूप है। पंजीकृत होने वाले प्रत्येक उत्पाद के लिए निम्नलिखित सूचना आवश्यक है :

- i) उत्पाद / संग्राहक
- ii) वह क्षेत्रफल जिसमें वर्ष भर उत्पादन / संग्रहण किया जाएगा
- iii) आच्छादित या अनाच्छादित उत्पाद
- iv) पहली कटाई या अनुवर्ती कटाई / संग्रहण का समय

पंजीकरण स्वीकार किए जाने के लिए, उत्पादक को CB के साथ प्रमाणन समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। CB क्लाइंट संख्या के साथ-साथ पंजीकरण संख्या आवंटित कर सकता है तथा पंजीकरण शुल्क जमा करने के लिए सहमति दे सकता है।

5.3.4 आवेदन पत्र के साथ में निम्न सूचना भी प्रदान करना आवश्यक है :

- a) गुणवत्ता नियमावली तथा अन्य संबंधित अभिलेख,
- b) आवेदक का नाम व पता,
- c) विधिक इकाई होने का प्रमाण,
- d) लोकेशन तथा पंजीकृत उत्पादकों की कुल संख्या,
- e) समूह केन्द्र पर प्रबंधित किए जाने वाले उत्पाद,
- f) संबंधित प्रमाणन मानदंड GAP/GFCP जिनके विरुद्ध प्रमाणन की मांग की गई है,
- g) उत्पाद प्रबंधन तथा भंडारण क्षेत्र,
- h) कामगारों की संख्या तथा सक्षमता, तथा
- i) प्रत्येक उत्पादक के आधार पर कवर किए जाने वाले औषधीय उत्पाद।

5.3.5 4.1.7-4.1.16 के अंतर्गत दिए जाने वाले प्राविधान भी लागू होंगे।

5.4 प्रमाणन प्रक्रिया

5.4.1 नियंत्रण मानदंड तथा अनुपालन मानदंड (Control Criteria and Compliance Criteria - CCCC)

संबंधित मानकों पर आधारित नियंत्रण मानदंड तथा अनुपालन मानदंड (CCCC) जांचसूची (अनुलग्नक A और अनुलग्नक B देखें) का उपयोग आंतरिक तथा बाह्य दोनों मूल्यांकनों के लिए किया जाएगा।

5.4.2 गुणवत्ता प्रबंधन अनुपालन मानदंड (QMS)

उत्पादक के गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र (देखें 5.2) का मूल्यांकन QMS चेकलिस्ट (देखें अनुलग्नक C) के साथ किया जाएगा।

संदर्भ- ISO 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र - ज़रूरतें

5.4.3 पूर्व-मूल्यांकन

5.4.3.1 आवेदक पूर्व-मूल्यांकन की इच्छा व्यक्त कर सकता है, हालांकि यह अनिवार्य नहीं है और इसके दौरान प्रमाणन निकाय आवेदक की मूल्यांकन हेतु तैयारी की स्थिति, अभिलेखन तथा सक्षम कर्मचारी की उपलब्धता के साथ-साथ सदस्य उत्पादकों के रिकॉर्ड की पर्याप्तता की जांच करेगा।

5.4.3.2 पूर्व-मूल्यांकन के दौरान प्रमाणन मानदंड के संदर्भ में यदि कोई कमी पाई जाती है, तो उसके बारे में आवेदक को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

5.4.4 मूल्यांकन प्रक्रिया

5.4.4.1 केन्द्र मूल्यांकन/ऑडिट- मूल्यांकन की योजना तब बनाई जाएगी जब अधिकतम संख्या में फसलें पकने वाली होंगी और उन्हें पूर्व-प्रसंस्करण तथा भंडारण के लिए सामूहिक केन्द्र पर लाई जाने वाली होंगी। 4.2.3 और 4.2.4 के अंतर्गत परिभाषित मानदंड लागू होंगे।

5.4.4.2 CB आंतरिक मूल्यांकन प्रतिवेदनों की समीक्षा करेगा। उत्पादक समूह के भीतर प्रत्येक पंजीकृत उत्पादक का प्रति वर्ष न्यूनतम एक आंतरिक मूल्यांकन योग्य आंतरिक उत्पादक समूह मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा समूह के भीतर किया जाना चाहिए या किसी बाह्य सतयापन निकाय को उप-ठेके पर दिया जाना चाहिए, जो कि समूह के बाह्य प्रमाणन मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी प्रमाणन निकाय से भिन्न हो। आंतरिक स्व-मूल्यांकन निरीक्षण लागू प्रयोजनों की पूर्ण जांचसूची (अतिमहत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण तथा मामूली) पर आधारित होगा।

5.4.4.3 मान्यताप्राप्त प्रमाणन निकाय द्वारा बाह्य गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र (QMS) ऑडिट - मान्यताप्राप्त CB द्वारा पंजीकृत उत्पादक समूह का वार्षिक रूप से एक घोषित बाह्य ऑडिट किया जाएगा। CB उत्पादक समूह केन्द्र के QMS का ऑडिट करेगा।

5.4.4.4 मान्यताप्राप्त प्रमाणन निकाय द्वारा बाह्य उत्पादक निरीक्षण - CB न्यूनतम के रूप में एक रैंडम सैंपल लेकर उत्पादकों का चयन करेगा जो कि उत्पादक समूह के भीतर कुल उत्पादकों की संख्या का वर्गमूल के बराबर होंगे। पहले निरीक्षण के लिए, CB द्वारा उत्पादक समूह के भीतर उत्पादकों की कुल संख्या के वर्गमूल के बराबर उत्पादकों का पूर्ण निरीक्षण किया जाएगा। यदि समूह X में 25 पंजीकृत उत्पादक हैं, और CB ने नमूने के रूप में वर्गमूल निर्धारित किया है, तो पहली बार में 5 उत्पादकों ($\sqrt{25}$) का निरीक्षण किया जाएगा।

5.4.5 प्रमाणपत्र प्रदान किया जाना

5.4.5.1 प्रमाणपत्र निम्न ज़रूरतों की पूर्ति के अनुपालन में जारी किया जाएगा :

- समूह केन्द्र के संतोषजनक संचालन,
- चयनित उत्पादकों के मूल्यांकन प्रतिवेदन पर आधारित प्रमाणन मानदंड (GAP/GFCP) के पूर्ण अनुपालन
- अनुलग्नक D में निर्दिष्ट प्रदूषकों की सीमाओं का अनुपालन
- आवश्यकतानुसार TLC प्रोफाइलिंग
- आवश्यकतानुसार लेवल 2 प्रमाणन के लिए API/HPI इत्यादि के अनुसार परीक्षण के उपरान्त उत्पाद की ज़रूरतों के समनुरूप, तथा
- उत्पन्न असमरूपताओं का संतोषजनक समाधान।

5.4.5.2 प्रमाणन निकाय प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए उत्पादक समूह व आवेदक को सूचित करेगा और समूह उत्पादक को एक प्रमाणपत्र जारी करेगा जिसकी विशिष्ट पहचान होगी और उस पर प्रमाणित उत्पादों के नाम, वे प्रमाणन मानदंड जिनके विरुद्ध प्रमाणन प्रदान किया गया है, प्रभावी तिथि, वैधता तिथि तथा उत्पादक समूह के नाम व पते का उल्लेख होगा।

5.4.5.3 प्रमाणपत्र जिन उत्पादकों व स्थलों से संबंधित है, उनकी सूची संदर्भित प्रमाणपत्र के अनुलग्नक में जारी की जाएगी। CB इस सूची को अद्यतन करेगा।

5.4.5.4 प्रमाणन की प्रभावी तिथि उत्पादक समूह को प्रमाणन प्रदान करने के निर्णय की तिथि से पूर्व की नहीं होगी।

5.4.5.5 उत्पाद प्रमाणन का प्रमाणपत्र, उत्पाद प्रमाणन प्रदान करने के निर्णय की तिथि से अधिकतम 3 वर्ष के लिए होगा।

5.4.6 निगरानी

5.4.6.1 निगरानी मूल्यांकन के दौरान, मूल्यांकनकर्ता अधिकतम के रूप में निम्न की जांच करेंगे और प्रतिवेदन देंगे :

- प्रमाणन मानदंड की ज़रूरतों के अनुपालन की स्थिति,
- आंतरिक मूल्यांकन प्रतिवेदन / ऑडिट,
- असमरूप उत्पादों का प्रबंधन व निस्तारण,
- स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए नमूने लेना,
- पूर्व मूल्यांकन में पाई गई असमरूपताओं के लिए की गई कार्यवाही,
- शिकायतों का निस्तारण, यदि कोई हों,
- उत्पाद के उत्पादन संबंधी सूचना तथा जिन लोगों/संस्थाओं को प्रमाणित उत्पाद की आपूर्ति की जानी है, उनके नाम।

5.4.6.2 यदि कोई असमरूपता पाई जाती है, तो उसे अतिमहत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण या मामूली के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। असमरूपता प्रतिवेदन क्लाइंट को लिखित रूप में प्रदान किया जाएगा, सामान्य रूप से स्थल पर, जिससे वह आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्यवाही कर सके। उनका विवरण निगरानी मूल्यांकन प्रतिवेदन में भी उल्लेखित किया जाएगा।

5.4.6.3 प्रमाणन निकाय संगठन के कार्यप्रदर्शन के आधार पर निगरानी मूल्यांकन की आवृत्ति घटा या बढ़ा सकता है। प्रमाणपत्र की वैधता अवधि के दौरान, CB उत्पादक समूह के अनेक उत्पादकों का एक अघोषित निरीक्षण करेगा, जो पिछले घोषित निरीक्षण के दौरान निरीक्षित किए गए नमूने के आकार के 10% के बराबर होगा। यदि उस अघोषित निगरानी निरीक्षण में, बाह्य रूप से निरीक्षित किए गए उत्पादकों की कोई असमरूपता नहीं पाई जाती है, तो सीबी द्वारा बाद में किए जाने वाले नियमित रूप से घोषित निरीक्षण को मूल किसान नमूना आकार से 10% तक कम किया जाएगा, बशर्ते निम्नलिखित नियमित रूप से घोषित निरीक्षण में किए गए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली ऑडिट के निष्कर्ष भी इस कमी के अनुकूल हों। यदि अघोषित निरीक्षणों में असमरूपताएं पाई जाती हैं, तो बाद में किए जाने वाले नियमित घोषित निरीक्षण में, पक्ष समर्थन केवल न्यूनतम (वर्गमूल) नमूने के आकार के लिए दिया जाना चाहिए, न कि बड़े हुए नमूने के आकार के लिए।

5.4.7 निलंबन

समूह को जारी किए जाने वाले आंशिक निलंबन, जिसमें केवल एक उत्पादक को निलंबित किया जाता है, न कि पूरे समूह को, के मामले में 4.6 के प्राविधान लागू होंगे। उत्पादक समूह में एक उत्पादक के मामले में असमरूपता पाए जाने पर, उत्पादक समूह के भीतर असमरूपताओं के निर्धारण के लिए CB द्वारा नमूने के आकार में वृद्धि करके की गई जांच के बाद निर्धारित किया गया कि एक उत्पादक अवज्ञाकारी है।

5.5 4.7 से 4.12 के प्राविधान लागू होंगे

6 विकल्प 3 – GAP से उत्पाद के व्यक्तिगत प्रमाणन हेतु लॉट निरीक्षण मॉडल

6.1 आवेदन

6.1.1 जो उत्पादक इंस्पेक्शन मॉड्यूल का चयन का इच्छुक होगा, तो वह निम्न सूचना के साथ बुआई के समय एक मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय के पास आवेदन करेगा :

- i) जिसे प्रमाणित किया जाना है, उस उत्पादक/संग्राहक का नाम
- ii) खेत/प्लॉट की पंजीकरण संख्या,
- iii) वर्ष भर में जितने खेत में उत्पादन/संग्रहण किया जाना है, उसका क्षेत्रफल,
- iv) कवर किए जाने वाले औषधीय उत्पाद,
- v) कटाई के समय का विवरण,
- vi) फसल उत्पादन संबंधी गतिविधियों के लिए GAP मानकों की ज़रूरतों का अनुपालन करने की प्रतिबद्धता।

6.1.2 CB आवेदन पत्र की पूर्णता की समीक्षा करेगा। यदि उनमें कोई कमी पाई जाती है, तो वांछित सूचना मांगी जा सकती है।

6.1.3 CB प्रमाणन शुल्क के लिए अनुबंध हस्ताक्षरित कराएगा और प्रमाणन ज़रूरतों का हर हाल में अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

6.2 मूल्यांकन

6.2.1 टीम का गठन

6.2.1.1 प्रमाणन निकाय सूचना प्राप्ति पर आवेदक के स्थल का भ्रमण करने के लिए मूल्यांकनकर्ताओं की टीम गठित करेगा।

6.2.1.2 इसकी योजना इस तरह से बनाई जाएगी कि फसल उत्पाद मूल्यांकन करने और नमूने लेने के लिए तैयार हो क्योंकि कुछ उत्पादों को पूर्व तैयारी की ज़रूरत होती है जैसे कि छंटाई, सफाई तथा सुखाना इत्यादि।

6.2.2 नमूने लेना, पैकिंग करना, लेबल लगाना, कोडिंग करना, सील करना तथा नमूनों पर हस्ताक्षर करना

6.2.2.1 नमूने पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध सामग्री से रैंडम आधार पर लिए जाते हैं जो कि उत्पादन लॉट का प्रतिनिधि होते हैं। एक बैच को निरूपित करने वाली मात्रा पर्याप्त मानी जाती है। उस प्रत्येक प्रकार व ग्रेड के नमूने लिए जाएंगे जिसका आवेदक निरीक्षण करवाना चाहता है।

6.2.2.2 यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नमूने का आकार वांछित परीक्षण ज़रूरतों के लिए पर्याप्त हो। समान आकार के काउंटर नमूने लिए जाएंगे और आवेदक के पास छोड़ दिए जाएंगे।

6.2.2.3 निरीक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए हर सावधानी बरतेगा कि नमूने रखरखाव व परिवहन के दौरान होने वाले जोखिमों से बचे रहने के लिए टिकाऊ पैकिंग मैटेरियल में पैक किए जाएं। जहाँ भी संभव होगा, परीक्षण प्रयोगशाला से मूल की पहचान को छिपाने के उद्देश्य से उत्पाद की उत्पत्ति को दर्शाने वाले सभी मूल चिह्नों को नमूनों को हटा लिया जाएगा / विकृत कर दिया जाएगा।

6.2.2.4 निम्न दर्शाने के लिए नमूनों पर लेबल लगाया जाएगा :

- a) उत्पाद का नाम;

- b) वह मानक जिसके विरुद्ध परीक्षण किया जाना है;
- c) उत्पाद का ग्रेड / प्रकार / आकार;
- d) नमूने की मात्रा;
- e) बैच नंबर / उत्पादन की तिथि।

6.2.2.5 नमूने / लेबल को निम्न प्रकार से एक कोड नंबर दिया जाना चाहिए :

- a) निरीक्षक के हस्ताक्षर
- b) नमूना लेने की तिथि

6.2.2.6 नमूना आधिकारिक मुहर से विधिवत सील किया जाएगा और निरीक्षक और आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ताकि सामग्री के साथ कोई प्रतिस्थापन या छेड़छाड़ संभव न हो। सीलिंग के उद्देश्य से, इंस्पेक्टर को हमेशा पीतल की सील या स्टील की पंच ले जानी चाहिए।

6.2.2.7 काउंटर सैम्पल, कम्प्लेन सैम्पल इत्यादि के सहित परीक्षण हेतु लिये जाने वाले किसी नमूने के लिए निरीक्षण द्वारा रसीद जारी की जाएगी। रसीद पर फर्म के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे।

6.2.2.8 नमूनों को या तो निरीक्षक द्वारा स्वयं लाया जाएगा या फिर आवेदक के पास प्रयोगशाला में भेजने के अनुरोध के साथ छोड़ दिया जाएगा।

6.3 प्रमाणपत्र जारी किया जाना

6.3.1 प्रमाणपत्र

ज़रूरतों के अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद निर्धारित प्रारूप पर प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। प्रमाणपत्र जारी होने के बाद प्रमाणन निकाय की जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी।

7. विकल्प 4 - उत्पाद का प्रमाणन अंतिम प्रयोक्ता को वितरित किए जाने से पूर्व उचित रखरखाव के लिए व्यापारी जैसे किसी मध्यवर्ती व्यक्ति/इकाई/संस्था के अधिकार में रखा जाएगा।

विकल्प 4 - उत्पाद का प्रमाणन अंतिम प्रयोक्ता को वितरित किए जाने से पूर्व उचित रखरखाव के लिए व्यापारी जैसे किसी मध्यवर्ती व्यक्ति/इकाई/संस्था के अधिकार में रखा जाएगा।

7.1 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का क्रियान्वयन

7.1.1 संस्था/व्यापारी को प्रमाणन के लिए आवेदन करने से पूर्व उपरोक्त में उल्लेखित 5.2 के गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का क्रियान्वयन करना होगा।

7.2 आधारभूत ढांचा और स्वच्छता

7.2.1 इकाई/संस्था के भीतर के ढांचों का निर्माण टिकाऊ सामग्रियों से मजबूती से किया जाना चाहिए जिससे उनका अनुरक्षण व साफ-सफाई आसानी के साथ किया जा सके।

- दीवारों की सतहें, विभाजन तथा फर्श अप्रवेशनीय सामग्रियों से निर्मित किए जाने चाहिए जिससे उत्पाद पर कोई विषैला प्रभाव न पड़े,
- दीवारों और विभाजनों की सतहें परिचालन के लिए उपयुक्त ऊंचाई तक चिकनी होनी चाहिए,
- फर्श ऐसी निर्मित की जानी चाहिए जिसमें निकासी व सफाई की पर्याप्त व्यवस्था हो,
- छत तथा ऊपरी संरचनाओं पर धूल नहीं जमनी चाहिए,
- खिड़कियां ऐसी होनी चाहिए जो आसानी के साथ साफ की जा सकें, और ऐसी बनाई जानी चाहिए जिससे उन पर धूल का जमाव कम हो,
- दरवाजों की सतहें चिकनी, अनवशोषी, तथा ऐसी होनी चाहिए जिनकी सफाई आसानी के साथ की जा सके,
- वे कार्यशील सतहें जो सीधे उत्पाद के संपर्क में आती हों, मजबूत, टिकाऊ होने के साथ-साथ ऐसी होनी चाहिए कि उन्हें आसानी के साथ साफ व अनुरक्षित किया जा सके।

7.3 भंडारण प्रबंधन

7.3.1 इकाई/संस्था प्रजातिवार उत्पाद के भंडारण की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करेगी। यह निम्न के लिए सुविधाएं डिज़ाइन करेगी और तैयार करेगी :

- पर्याप्त अनुरक्षण व साफ-सफाई का स्थान
- कीटों की पहुंच व आश्रय से बचाना
- भंडारण के दौरान उत्पाद को प्रदूषण से पूर्ण रूप से सुरक्षित रखना
- विकृति से बचाने के लिए वातावरण (तापमान एवं आर्द्रता) प्रदान करना
- सफाई की जाने वाली सामग्रियों / जोखिमयुक्त पदार्थों के लिए सुरक्षित भंडारण केन्द्र प्रदान करना

7.3.2 उस अवधि के लिए प्राप्ति, भंडारण तथा प्रेषण का पर्याप्त रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा जो उत्पाद के भंडारण व उसके इस्तेमाल होने की अवधि से अधिक होगी। यह अभिलेखन नियंत्रण प्रणाली की विश्वसनीयता तथा प्रभाविता में वृद्धि कर सकता है।

7.3.3 प्रतिष्ठानों एवं उपकरणों को मरम्मत की स्थिति तथा निम्न की अवस्था में रखा जाना चाहिए :

- सभी स्वच्छता प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए
- अभिप्रेत कार्य के, विशेष रूप से किसी संकट के समय उठाए जाने वाले कदमों के अनुकूल
- उत्पाद के प्रदूषण की रोकथाम।

7.3.4 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सफाई कार्यक्रम ऐसे हों जिससे प्रतिष्ठान के सभी भागों की समुचित सफाई हो सके और इसमें सफाई उपकरणों की सफाई भी शामिल होनी चाहिए।

7.3.5 उत्पाद की सुरक्षा तथा उसके स्थायित्व के लिए कीट एक जोखिम होते हैं। कीटों की पहुंच रोकने और उनके संभावित प्रजनन स्थलों को खत्म करने के लिए भवनों को अच्छी मरम्मत और स्थिति में रखा जाना चाहिए। छिद्र तथा नालियों जैसे स्थान बंद रखे जाने चाहिए जहां से कीटों के आने की संभावना होती है। प्रतिष्ठानों और उनके आस-पास के स्थानों पर संक्रमण का पता लगाने के लिए उनका नियमित रूप से परीक्षण किया जाना चाहिए।

7.4 आवेदन

7.4.1 कोई इकाई/व्यापारी, जो निगरानी की श्रृंखला में है, निम्न सूचना के साथ मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय के समक्ष आवेदन करेगा :

- a) प्रमाणन के इच्छुक व्यापारी/एजेंसी का नाम,

- b) भंडार संचालन की पंजीकरण संख्या,
- c) भंडारण किए जाने वाला औषधीय उत्पाद,
- d) भंडारगृह संचालन का प्राधिकारियों द्वारा जारी लाइसेंस

7.4.2 CB आवेदन की पूर्णता की समीक्षा करेगा। यदि उसमें कोई कमी पाई जाती है, तो संबंधित सूचना की मांग की जाएगी।

7.4.3 CB प्रमाणन शुल्क के लिए अनुबंध हस्ताक्षरित कराएगा और प्रमाणन ज़रूरतों का हर हाल में अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

7.4.4 4.1.8 से 4.1.17 के प्राविधान लागू होंगे।

7.5 मूल्यांकन

7.5.1 टीम का गठन

7.5.1.1 प्रमाणन निकाय सूचना प्राप्ति पर आवेदक के स्थल का भ्रमण करने के लिए मूल्यांकनकर्ताओं की टीम गठित करेगा।

7.5.1.2 इसकी योजना इस तरह से बनाई जाएगी कि औषधीय पादप उत्पाद मूल्यांकन करने और नमूने लेने के लिए तैयार हो।

7.6 प्रमाणपत्र जारी किया जाना

7.6.1 CB प्रमाणित क्लाइंट को प्रमाणन अभिलेख प्रदान करेगा जिस पर स्पष्ट रूप से निम्न सूचनाएं उल्लेखित होंगी -

- a) क्लाइंट का नाम तथा उसकी भौगोलिक स्थिति,
- b) प्रमाणन प्रदान करने की तिथि, विस्तारित करने की तिथि तथा नवीनीकरण की तिथि,
- c) पुनःप्रमाणन चक्र के अनुक्रम में समापन या पुनःप्रमाणन की तिथि
- d) विशिष्ट पहचान कोड,
- e) प्रमाणन मानदंड, जिसमें इस्यू नंबर तथा/या उसका पुनरीक्षण शामिल होगा जिसके विरुद्ध उत्पाद प्रमाणित किए जा रहे हैं,
- f) चिन्हित स्थल पर लागू उत्पादों के संदर्भ में प्रमाणन का प्रयोजन,
- k) प्रमाणन निकाय का नाम, पता तथा प्रमाणन चिन्ह; प्रदान किए गए अन्य चिन्हों (जैसे कि मान्यता प्रतीक) का उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते वे भ्रामक या अस्पष्ट न हों,
- l) प्रमाणन के लिए प्रयुक्त प्रमाणन मानदंडों द्वारा वांछित कोई अन्य सूचना,
- g) किन्हीं संशोधित प्रमाणन अभिलेखों को जारी करने की स्थिति में, संशोधित अभिलेखों को किन्हीं पूर्व अप्रचलित अभिलेखों से अलग करने के साधन

7.6.2 प्रमाणन अभिलेख की प्रभावी तिथि, प्रमाणन / पुनः प्रमाणन के निर्णय की तिथि से पहले की नहीं होगी।

7.6.3 औपचारिक प्रमाणन प्रलेखन में प्रमाणन निकाय के जिम्मेदार लोगों के हस्ताक्षर शामिल होंगे।

7.7 4.6 से 4.10 एवं 4.12 के प्राविधान लागू होंगे।

औषधीय पादप उत्पादन के लिए गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज़ (GAP) के लिए स्व-मूल्यांकन हेतु जांच-सूची

मापदंड	नियंत्रण मानदंड	अनुपालन का स्तर	अनुपालन		टिप्पणी
			हां	नहीं	
1	स्थल का चयन				
1.1	क्या स्थल विषैले पदार्थों, जैसे औद्योगिक अपशिष्टों तथा उत्प्रवाहों से मुक्त होना चाहिए?	महत्वपूर्ण			
1.2	क्या स्थल कब्रस्तान, शमशान घाट या किसी ऐसे स्थान पर हैं जिनके इस तरह के उपयोग के बारे में ज्ञात करने योग्य इतिहास है?	मामूली			
1.3	क्या स्थल तक सिंचाई जल (जहां लागू है/संबंधित है) के विश्वसनीय स्रोत अधिगम्य है?	महत्वपूर्ण			
1.4	क्या मापदंड 1.1 से 1.2 के संदर्भ में चिन्हित समस्त जोखिमों को न्यूनीकृत करने के लिए रणनीतियां तैयार की गई हैं? क्या ये विश्लेषण परिणाम रिकॉर्ड किए गए हैं और उनका उपयोग जांच किए जा रहे स्थल की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए किया गया है?	महत्वपूर्ण			
1.5	क्या स्थल की उपयुक्तता के बारे में निर्णय के दौरान, पूर्वगामी तीन वर्षों के लिए संग्रहीत मौसम संबंधी आंकड़ों को दृष्टिगत रखा गया?	मामूली			
2	मिट्टी की स्थितियां				
2.1	क्या खेत के लिए मृदा मानचित्र तैयार किया गया?	महत्वपूर्ण			
2.2	क्या मिट्टी चयनित फसल के लिए इसकी जलधारण क्षमता तथा उपजाऊपन के संदर्भ में अनुकूल है?	महत्वपूर्ण			
2.3	यदि कम उपजाऊ स्तरों वाली मिट्टी के बारे में विशिष्ट स्थल तथा प्रजातियों की ज़रूरतों के अनुसार मिट्टी में सुधार किए जाने की संस्तुति की जाती है, तो क्या मृदा संशोधनों की प्रकृति व मात्रा निर्धारित करने के लिए भौतिक-रासायनिक मापदंडों और पोषण प्रोफाइल से संबंधित नवीनतम मृदा परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध है?	महत्वपूर्ण			
2.4	क्या सिंचाई के पानी की गुणवत्ता को मिट्टी के प्रकार और कुल लवण सांद्रता, सोडियम अवशोषण अनुपात, बाइकार्बोनेट और बोरान सांद्रता आदि के संदर्भ में पर्याप्त रूप से समझा लिया गया है और उसे वर्गीकृत किया गया है?	महत्वपूर्ण			
2.5	यदि जल का स्रोत नहर के जल इत्यादि के जैसा असुरक्षित है तो सूक्ष्मप्रदूषकों [डिसइन्फेक्शन बाई-प्रोडक्ट्स (DBPs), एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल, एंटीबायोटिक, पोलिमेर, कीटनाशक तथा अन्य	महत्वपूर्ण			

	बायोएक्टिव केमिकल, भारी धातुएं तथा अवशेषी कीटनाशक] के मानकों के अनुपालन के लिए सिंचाई जल की आवश्यकता होती है।				
2.6	जब छाया वाली फसल की योजना बनाई जाती है, तब पूरे खेत पर छाया की व्यवस्था की जानी चाहिए।	महत्वपूर्ण			
3	बीज एवं प्रजनन सामग्री				
3.1	क्या बीज/पौध के साथ निम्न सूचना होती है :- a) नाम (औषधकोशीय नामावली तथा व्यापार का नाम) b) वानस्पतिक नाम c) कृषिजोपजाति/प्रवरण/ समलक्षणी/ केमोटाइप / जीनोटाइप (यदि लागू हो)?	अतिमहत्वपूर्ण			
3.2	जब पादप-औषधीय उद्योगों के लिए फसल एक माध्यम होती है, तब क्या अंतिम उत्पाद के लिए मार्कर आधारित विश्लेषणात्मक उपाय अनिवार्य आवश्यकता होती है?	महत्वपूर्ण			
3.3	जब पौध सामग्री जंगली स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, क्या तब उसकी सही पहचान निर्धारित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं? क्या पौध सामग्री अधिकृत स्रोत से प्राप्त की जाती है?	महत्वपूर्ण			
3.4	क्या उत्पादक बीजारोपण/पौधरोपण विधियों, बीज/पौध रोपण की दर, बीजारोपण/पौधरोपण की तिथि का रिकॉर्ड रखता है?	महत्वपूर्ण			
3.5	बीज				
3.5.1	खेती के उद्देश्यों के लिए चयनित बीजों को वानस्पतिक तथा प्रजातीय शुद्धता संबंधी ज़रूरतों की पूर्ति करनी चाहिए।	अतिमहत्वपूर्ण			
3.5.2	क्या खेती के उद्देश्यों के लिए चयनित बीज भौतिक रूप से कीटों, रोगों, खर-पतवार, तथा बाहरी व भीतरी पदार्थों से मुक्त होते हैं?	अतिमहत्वपूर्ण			
3.5.3	क्या उत्पादक बीजारोपण/पौधरोपण विधियों, बीज/पौध रोपण की दर, बीजारोपण/पौधरोपण की तिथि का रिकॉर्ड रखता है?	महत्वपूर्ण			
3.5.4	क्या बीज हाल में संग्रहीत किए गए लॉटों से लिए गए हैं और यदि वे जंगली स्रोत से संग्रहीत किए गए हैं, तो क्या वे परिपक्व हैं?	महत्वपूर्ण			
3.5.5	क्या रोपण सीजन से तालमेल स्थापित करने के लिए लक्षित प्रजातियों के लिए निर्धारित बीजोपचार प्रोटोकॉल पहले से ही भलीभांति पूर्ण कर लिया गया है?	महत्वपूर्ण			
3.5.6	जब नर्सरी की स्थिति के अंतर्गत बीजों के अंकुरित करने की प्रक्रिया होती है, तो क्या यह लक्षित प्रजातियों के लिए अनुशंसित कृषि-वैज्ञानिक प्रथाओं के अनुसार और क्षेत्र प्रत्यारोपण के वास्तविक समय से पहले शुरू किया जाता है, और क्या केवल स्वस्थ पौधों की रोपाई की जाती है?	महत्वपूर्ण			

3.6	तने की कटाई				
3.6.1	क्या नर्सरी स्थितियों के अंतर्गत खेत में वानस्पतिक पहचान व वानस्पतिक प्रवर्धन दोनों के लिए प्रत्यारोपण हेतु तने की कटाई में रूट इंडक्शन के समय कटाई के स्रोतों को अधिप्रमाणित किया जाता है?	अतिमहत्वपूर्ण			
3.6.2	क्या केवल वांछित जड़ें देने वाले स्वस्थ तने की ही कटाई की जाती है?	महत्वपूर्ण			
3.7	जड़ की कटाई				
3.7.1	क्या प्रत्यारोपण के लिए तैयार पौध या समान आकार व परिपक्वता वाली रूट कटिंग, दोनों हवाई व भूमिगत भागों के संदर्भ में, और किसी भी रोग व संक्रमण से मुक्त इस्तेमाल किए जाते हैं?	अतिमहत्वपूर्ण			
4	खेती के लिए फसल प्रबंधन				
4.1	खेत की तैयारी				
4.1.1	क्या मिट्टी को बीज के अंकुरण व पौधे के लिए अनुकूल बनाने के लिए उसकी वांछित जुताई की गई है?	महत्वपूर्ण			
4.1.2	क्या खेत में की जाने वाली गतिविधियां बेहतर मूल परिवेशी वातावरण, मृदा संरचना व बनावट प्रदान करती हैं और इसे शुरुआती 20-30 दिनों तक खर-पतवारों से मुक्त रखती हैं?	महत्वपूर्ण			
4.2	बुआई और प्रत्यारोपण				
4.2.1	क्या प्रति इकाई भूमि के क्षेत्रफल में पौधों की अनुशंसित दर का अनुपालन किया जाता है?	मामूली			
4.2.2	क्या नम भूमि वाले क्षेत्रों में बीजों को उचित गहराई में बोया जाता है?	महत्वपूर्ण			
4.2.3	क्या लक्षित प्रजातियों की परिकल्पना के लिए कृषि-विज्ञानी प्रोटोकॉल में परिकल्पित फसल की जरूरतों के आधार पर पंक्ति-से-पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी के संदर्भ में अंतराल मानदंड का पालन किया जाता है?	मामूली			
4.2.4	क्या पौधे की इष्टतम समय में खुदाई करके उसकी तत्काल रोपाई की जाती है?	महत्वपूर्ण			
4.2.5	जो पौधे किसी कारणवश नष्ट हो जाते हैं, उनकी भरपाई के लिए उचित समय-सीमा के भीतर और लक्षित फसल की उत्पादन-पूर्व अवधि को दृष्टिगत रखते हुए क्षतिपूर्ति पौध रोपण किया जाना चाहिए।	मामूली			
4.2.6	क्या कोई ऐसा अभिलेख है जो बीज की गुणवत्ता (हानिकारक कीटों, रोगों, विषाणु इत्यादि से मुक्त) की गारंटी देता हो?	मामूली			
4.3	खादें और उर्वरक				

4.3.1	प्रयुक्त खाद और उर्वरकों के बारे में जानकारी/सामग्री का स्रोत। यदि खाद का स्रोत बाहरी है तो उसकी उपयुक्तता या अहर्ता की स्वीकार्यता या जांच के लिए प्रयुक्त मापदंड।	महत्वपूर्ण			
4.3.2	क्या मिट्टी के गुणधर्मों के आधार पर लक्षित फसल की पोषण संबंधी जरूरतों को दृष्टिगत रखते हुए औषधीय पौधों की पैदावार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जैविक खाद में अजैविक स्रोत के माध्यम से खनिज पोषण मिश्रित होता है?	मामूली			
4.3.3	क्या खाद, वर्मी-कम्पोस्ट, हरी पत्तेदार खाद और जैव उर्वरकों का उपयोग करना वांछनीय माना जाता है?	मामूली			
4.3.4	क्या विशिष्ट उद्देश्यों, जैसे कि मूल उत्पादन या पत्तेदार बायो-मास की वृद्धि इत्यादि, के लिए विशिष्टीकृत पोषण का चयन लक्षित प्रजातियों के लिए अनुशंसित कृषि-विज्ञानी गतिविधियों के अनुसार किया जाता है?	महत्वपूर्ण			
4.4	सिंचाई				
4.4.1	उपलब्ध कृषि-विज्ञानी प्रोटोकॉल के अनुसार फसल की कुल जल संबंधी जरूरतों का आकलन कैसे किया जाता है? पौधों की इष्टतम वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई चक्रों की योजना कैसे बनाई जाती है तथा उनका क्रियान्वयन कैसे किया जाता है?	महत्वपूर्ण			
4.4.2	क्या सिंचाई की विधि के संदर्भ में जल के अधिकतम उपयोग व जल की बर्बादी को न्यूनीकृत करने हेतु कोई जल प्रबंधन योजना है?	महत्वपूर्ण			
4.4.3	जल संचयन व जल संरक्षण की विधियों का यथासंभव अनुपालन कैसे किया जाता है?	मामूली			
4.4.4	क्या जल की गुणवत्ता का निर्धारण मिट्टी की स्थितियों के आधार पर किया जाता है, और क्या इसके लिए मिट्टी व जल का विश्लेषण दृष्टिगत रखा जाता है?	महत्वपूर्ण			
4.4.5	जिस स्थान पर जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है, वहां से अतिरिक्त जल को बाहर निकालने के लिए क्या विशिष्ट व्यवस्था की जाती है?	महत्वपूर्ण			
4.5	निराई तथा अंतःसंवर्धन गतिविधियां				
4.5.1	नए पौधों को खरपतवार मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए खरपतवारों के प्रारंभिक प्रवाह को प्रभावी ढंग से कैसे नियंत्रित किया जाता है?	महत्वपूर्ण			
4.5.2	क्या सभी अंतःसांस्कृतिक गतिविधियां जैसे कि निराई, गुड़ाई, टॉपिंग, कलियों की कुतराई, छंटाई, छायांकन और अर्थिंग आदि की निर्धारित समय-सारणी है, जिसका अनुपालन समग्र उत्पादकता को अनुकूलित करने के तरीके के रूप में किया जाता है?	महत्वपूर्ण			
4.5.3	क्या जहां तक संभव है, खर-पतवार नाशकों के उपयोग से बचा जाता है? यदि उनका उपयोग अनिवार्य होता है, तो क्या इस बात के साक्ष्य हैं कि	महत्वपूर्ण			

	लक्षित फसल की सुरक्षा के संदर्भ में पर्याप्त विचार किया जाता है?				
4.6	फसल सुरक्षा				
4.6.1	क्या अंतिम फसल और इसकी गुणवत्ता के ह्रास को कम करने के लिए कीट प्रबंधन हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले कृषि-विज्ञानी प्रोटोकॉल में व्यापक निवारक और नियंत्रण उपाय हैं?	महत्वपूर्ण			
4.6.2	क्या फसल की सुरक्षा योजनाएं केवल जैव-नियंत्रण कारकों तथा जैव-पीड़कनाशियों के उपयोग तक सीमित हैं?	महत्वपूर्ण			
4.6.3	4.6.1 तथा 4.6.2 में उपलब्ध प्रोटोकॉल की अनुपस्थिति में समेकित कीट प्रबंधन प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाएगा।	अतिमहत्वपूर्ण			
4.6.4	लक्षित फसलों के लिए निर्धारित फसल सुरक्षा प्रोटोकॉल के आधार पर कीटनाशकों की सर्वाधिक छोटी प्रभावी खुराक का उपयोग करने के लिए किस तरह से बाध्यकारी स्थितियों के अंतर्गत देख-रेख की जाती है?	महत्वपूर्ण			
4.6.5	जब फसल की सुरक्षा के लिए रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, तो क्या मानक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उपयुक्त परीक्षण एजेंसियों के माध्यम से अंतिम उत्पाद का अवशेष विश्लेषण किया जाता है?	अतिमहत्वपूर्ण			
5	फसल की कटाई तथा कटाई के बाद का प्रबंधन				
5.1	फसल की कटाई				
5.1.1	कटाई का समय कैसे निर्धारित किया जाता है और कुल वनस्पति उपज के बजाय घटकों के अंतिम उत्पाद के लिए निर्धारित गुणात्मक मापदंडों के आधार पर उसका कैसे अनुपालन किया जाता है?	महत्वपूर्ण			
5.1.2	कटाई के लिए चयनित औजारों को मिट्टी के कणों से संदूषित होने से कैसे बचाया जाता है? फसल की कटाई के समय, खरपतवारों की आकस्मिक और समवर्ती फसल से बचने के लिए क्या सावधानी बरती जाती है?	महत्वपूर्ण			
5.1.3	काटी गई फसल के रखरखाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिब्बों की सफाई कैसे की जाती है? उत्पाद को अन्य प्रजातियों, खर-पतवारों तथा ऐसे ही अन्य बाह्य पदार्थों से संदूषित होने के जोखिम से मुक्त रखने के लिए क्या सावधानी बरती जाती है?	महत्वपूर्ण			
5.2	प्राथमिक प्रक्रिया				
5.2.1	नई काटी गई फसलों की धुलाई व सफाई के लिए अपनाई जाने वाली विधियां पौधों के लक्षित भागों को दृष्टिगत रखते हुए उनके अनुकूल हैं?	महत्वपूर्ण			
5.2.2	क्या ताजी काटी हुई फसलों को ऐसे भंडारित नहीं किया जाता है कि सुखाने की प्रक्रिया निरंतरता में शुरू नहीं की जाती है? भंडारण की लंबाई को कैसे न्यूनीकृत किया जाता है और किस तरह से प्रबंधित किया जाता है जिससे उसकी गुणवत्ता में गिरावट न हो या उसमें सड़न न हो?	महत्वपूर्ण			

5.2.3	प्रक्रमण प्रांगण या स्थल को किस तरह से साफ, पर्याप्त हवादार रखा जाता है और उसमें किस तरह से धूप, धूल, वर्षा, चूहों, गिलहरियों, कीटों तथा पशुओं से बचाने की व्यवस्था की जाती है?	महत्वपूर्ण			
5.2.4	क्या इस उद्देश्य के लिए सुखाने की प्रक्रिया व तापमान की व्यवस्था, कृषि उत्पाद की गुणवत्ता ज़रूरतों के अनुरूप है?	अतिमहत्वपूर्ण			
5.2.5	क्या सुखाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद और सामग्री पैक होने से पहले छँटाई प्रक्रिया की जाती है?	महत्वपूर्ण			
5.3	पैकेजिंग, भंडारण तथा परिवहन				
5.3.1	क्या पैकेजिंग सामग्री का चयन गुणवत्ता ज़रूरतों और उपभोग से पहले भंडारण की लंबाई पर आधारित है तथा इसे साफ, शुष्क तथा अक्षत रखा जाता है?	महत्वपूर्ण			
5.3.2	पैकेजिंग के दौरान, क्या यांत्रिक क्षति तथा सुखाई हुई पौध सामग्री के अनुचित संहनन के कारण अवांछित गुणवत्ता परिवर्तन होने से बचने के उपाए किए गए हैं? क्या डिब्बों को निर्धारित क्षमता से अधिक भराव से बचने के लिए समुचित ध्यान दिया गया है?	महत्वपूर्ण			
5.3.3	क्या भंडारण स्थल को शुष्क तथा कीटों, चूहों व गिलहरियों इत्यादि के साथ-साथ उत्पाद की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों से सुरक्षित रखा गया है?	महत्वपूर्ण			
5.3.4	क्या जैविक जड़ी-बूटियों को अजैविक उत्पादों से अलग भंडारित किया गया है?	महत्वपूर्ण			
5.3.5	जब एक ही स्थान पर अनेक उत्पादों का प्रबंधन किया जाता है, तो क्या उनके मिश्रित होने तथा एक-दूसरे से संदूषित होने से रोकने के उपाय किए जाते हैं?	मामूली			
5.3.6	क्या तेज सुगंधयुक्त यौगिकों वाले पादप सामग्रियों को एक-दूसरे से पर्याप्त दूरी पर रखा जाता है?	मामूली			
6	पहचान तथा ट्रेसेबिलिटी				
6.1	<i>पहचान</i>				
6.1.1	क्या उत्पाद के नाम, पौधे के हिस्से, फसल के महीने और साल और किसान या कृषि एजेंसी के नाम के साथ हर पैक पर कानूनी रूप से लेबल लगाए गए हैं? यदि सामग्री का पहले परीक्षण किया गया था, तो गुणवत्ता अनुमोदन का संकेत देते हुए एक उपयुक्त लेबल का उपयोग किया जा सकता है।	महत्वपूर्ण			
6.2	ट्रेसेबिलिटी				
6.2.1	क्या पंजीकृत उत्पाद को फिर से ट्रेस किया जा सकता है और और यह पंजीकृत खेत (और अन्य संबंधित पंजीकृत क्षेत्रों) से ट्रैक करने योग्य है, जहां इसे उगाया गया है?	अतिमहत्वपूर्ण			

7	कार्मिक एवं उपकरण				
7.1	साइट पर कार्यरत प्रमुख व्यक्ति (जैसे कि खेत के मालिक / पर्यवेक्षक) को लक्षित फसल से संबंधित सभी पहलुओं जैसे कि अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता की आवश्यकता, फसल की पैदावार आदि भली-भांति परिचित होना चाहिए।	महत्वपूर्ण			
7.2	कार्मिक को विषयगत मामलों जैसे कि सुरक्षा व स्वच्छता के संदर्भ में मूलभूत जानकारी होनी चाहिए।	महत्वपूर्ण			
7.3	उर्वरक और कीटनाशक अनुप्रयोग में प्रयुक्त होने वाली मशीनरी की निर्धारित समय-सूची के अनुसार जांच की जानी चाहिए और अंशांकन प्रमाणपत्र / रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए।	महत्वपूर्ण			
7.4	उपकरणों की सफाई की जानी चाहिए और जहां लागू हो, वहां आसानी के साथ सुलभ तरीके से लगाया जाना चाहिए। उन्हें कार्यशील बनाए रखने के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सर्विसिंग कराई जानी चाहिए।	महत्वपूर्ण			
7.5	मशीन के उन भागों की सफाई का अतिरिक्त ध्यान रखा जाना चाहिए जो कटे हुए औषधीय पौधे के सीधे संपर्क में आते हैं।	महत्वपूर्ण			
7.6	उपकरण के लिए प्रयुक्त होने वाली सामग्री, विशेष रूप से जो सीधे संपर्क में आ रही है, सुरक्षित होनी चाहिए। उन उपकरणों से बचा जाना चाहिए जिनसे काटी गई फसल के खतरनाक धातु संदूषण का खतरा उत्पन्न होता है।	अतिमहत्वपूर्ण			
8	कामगारों का स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण				
8.1	जोखिम मूल्यांकन				
8.1.1	क्या खेत में सुरक्षित और स्वस्थ कार्यकारी स्थितियों के लिए एक लिखित जोखिम मूल्यांकन उपलब्ध होता है?	महत्वपूर्ण			
8.1.2	क्या खेत में लिखित स्वास्थ्य, सुरक्षा व स्वच्छता नीति तथा प्रक्रियाएं उपलब्ध होती हैं?	महत्वपूर्ण			
8.2	प्रशिक्षण				
8.2.1	क्या संयंत्र के रसायनों, विसंक्रामकों, संयंत्र के सुरक्षा उत्पादों, बायोसाइड्स या अन्य खतरनाक पदार्थों का रखरखाव व/या प्रबंधन करने वाले तथा खतरनाक या जटिल उपकरणों को संचालित करने वाले सभी कर्मचारियों के पास सक्षमता प्रमाणपत्र तथा/या अन्य ऐसी योग्यताओं का विवरण है?	महत्वपूर्ण			
8.2.2	क्या सभी कामगारों ने स्वास्थ्य व सुरक्षा से संबंधित पर्याप्त प्रशिक्षण लिया है और उन्हें जोखिम मूल्यांकन के अनुसार निर्देश दिए गए हैं?	महत्वपूर्ण			

8.2.3	जब खेतों पर कृषि कार्य किया जाता है, क्या तब प्रत्येक खेत पर उपयुक्त संख्या (कम से कम एक) में प्राथमिक उपचार के बारे में प्रशिक्षित व्यक्ति हर समय मौजूद रहता है?	महत्वपूर्ण			
8.3	जोखिम एवं प्राथमिक चिकित्सा				
8.3.1	क्या दुर्घटना और आकस्मिक प्रक्रियाएं मौजूद हैं? क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया है और उनके बारे में कृषि कार्य से जुड़े सभी लोगों को अवगत कराया गया है?	महत्वपूर्ण			
8.3.2	क्या संभावित जोखिमों को स्पष्ट रूप से चेतावनी चिन्हों द्वारा चिन्हित किया गया है और उन्हें यथास्थान लगाया गया है?	मामूली			
8.4	सुरक्षात्मक पोषाक / उपकरण				
	क्या सभी कामगारों (उपठेकेदारों सहित) को विधिक ज़रूरतों और/या लेबल निर्देशों या सक्षम अधिकारी के विनिर्देशों के अनुपालन में उपयुक्त सुरक्षात्मक पोषाकें उपलब्ध कराई गई हैं?	महत्वपूर्ण			
9	रिकॉर्ड का रखरखाव और आंतरिक स्व-मूल्यांकन/आंतरिक निरीक्षण				
9.1	क्या वे समस्त रिकॉर्ड पहुंच में हैं जिनके बारे में बाह्य निरीक्षण के दौरान अनुरोध किया गया था और उन्हें कम से कम दो वर्षों के लिए तब तक सुरक्षित रखा गया है जब तक विशिष्ट नियंत्रण बिंदुओं में उल्लेखित ज़रूरतें समाप्त नहीं हो जाती हैं?	महत्वपूर्ण			
9.2	क्या उत्पादक इस मानक की ज़रूरतों के आधार पर प्रति वर्ष कम से कम एक आंतरिक स्व-मूल्यांकन की जिम्मेदारी लेता है?	महत्वपूर्ण			
9.3	क्या आंतरिक स्व-मूल्यांकन के दौरान पाई गई गैर-अनुरूपता के परिणामस्वरूप प्रभावी सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है?	महत्वपूर्ण			

औषधीय पादप उत्पाद के लिए गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेज़ हेतु स्व-मूल्यांकन के लिए जांच-सूची

मापदंड	नियंत्रण मानदंड	अनुपालन का स्तर	अनुपालन		टिप्पणी
			हां	हां	
1	संग्रहण के लिए स्थल का चयन				
1.1	औषधीय पादप उत्पाद के संग्रहण के लिए स्थल विषैले तत्वों से मुक्त होना चाहिए और प्रदूषण संभावित नहीं होना चाहिए।	महत्वपूर्ण			
1.2	क्या स्थल भारी वाहन यातायात वाली सड़क के निकट है?	मामूली			
1.3	क्या स्थल उन प्रजातियों के लिए विश्वसनीय स्रोत है जिनका संग्रहण किया जाना है?	महत्वपूर्ण			
1.4	क्या स्थल पर अपेक्षित प्रजातियों की पर्याप्त मौजूदगी है?	महत्वपूर्ण			
2.1.1	क्या औषधीय पादप उत्पाद का संग्रहण, प्रक्रमण, भंडारण तथा बिक्री मौजूदा कानूनों के अनुरूप किया जाता है?	अतिमहत्वपूर्ण			
2.1.2	क्या औषधीय पादप उत्पाद का संग्रहण, प्रक्रमण, भंडारण तथा बिक्री भारत द्वारा हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों के अनुरूप किया जाता है?	अतिमहत्वपूर्ण			
2.2	अंतर्राष्ट्रीय अधिनियमन एवं दिशानिर्देश				
2.2.1	क्या जंगल से किसी औषधीय पादप उत्पाद के संग्रहण के दौरान CITES द्वारा स्थापित प्राविधानों का अनुपालन किया जाता है?	अतिमहत्वपूर्ण			
2.2.2	क्या औषधीय पादप उत्पाद के संग्रहण प्रबंधकों तथा संग्राहकों का उद्देश्य निर्यात करना है, यदि हां, तो क्या वे आयात करने वाले देशों के कानूनों का अनुपालन करते हैं?	अतिमहत्वपूर्ण			
2.3	राष्ट्रीय अधिनियमन				
2.3.1.	क्या भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, जैव विविधता अधिनियम 2002, अनुसूचित जनजाति पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का अनुपालन किया जाता है?	अतिमहत्वपूर्ण			
2.3.2	क्या संग्राहक तथा संग्रहण प्रबंधक इस प्रकार के अधिनियमों, कानूनों से अवगत हैं और उनमें उल्लेखित शर्तों का अनुपालन करते हैं?	महत्वपूर्ण			
2.3.3	क्या संग्राहक तथा संग्रहण प्रबंधक आयात-निर्यात नीति तथा इस नीतिगत अभिलेख में उल्लेखित प्राविधानों के अनुपालन के लिए निर्यात की नकारात्मक सूची से अवगत हैं?	महत्वपूर्ण			

2.4	स्थानीय अधिनियमन				
2.4.1	क्या संग्राहक/संग्रहण प्रबंधक विशिष्ट क्षेत्रों में औषधीय पादप उत्पादों के संग्रहण, पारगमन तथा बिक्री को नियंत्रित करने वाले स्थानीय अधिनियमन से अवगत हैं और क्या वे उनका अनुपालन करते हैं?	अतिमहत्वपूर्ण			
2.5	संग्रहणों के लिए अनुमति				
2.5.1	क्या संग्राहकों / संग्रहण प्रबंधकों ने सक्षम एजेंसी से औषधीय पादप उत्पादों के संग्रहण, परिग्रह, पारगमन तथा बिक्री के लिए आवश्यकतानुसार विधिक रूप से लिखित पूर्व अनुमति ली है?	अतिमहत्वपूर्ण			
3	कृषि उपज की कटाई / संग्रहण का प्रबंधन				
3.1	गुणवत्ता विवेचन				
3.1.1	प्रजातियों की वानस्पतिक प्रामाणिकता : क्या पादप प्रजातियों को जंगल से संग्रहीत करने से पहले उनकी वानस्पतिक पहचान की गई है? क्या उस पादप की पहचान करके रिकॉर्ड तैयार किया गया है, जिससे उत्पाद प्राप्त किया गया है? वांछित सूचना में वंश, प्रजाति, उप-प्रजाति, यदि कोई है, के साथ-साथ लेखक अनुलेखन शामिल है?	अतिमहत्वपूर्ण			
3.1.2	नए पौधों की वानस्पतिक प्रामाणिकता : संग्रहीत किए जाने वाले नए औषधीय पादप प्रजातियों को कैसे चिन्हित किया जाता है, जिनका किसी औषधकोश या संदर्भ पुस्तक में विनिबन्ध नहीं मौजूद है?	महत्वपूर्ण			
3.1.3	क्या फील्ड कलेक्शन प्रोटोकॉल उपलब्ध है?	महत्वपूर्ण			
3.1.4	स्वस्थ पादपों का संग्रहण प्रजातियों का औषधीय मान ऐसे संघों से प्राप्त होने जैसे कि कीटों के पित्त, अगर की लकड़ी इत्यादि, की स्थिति को छोड़ कर, क्या वांछित पादप प्रजातियों के केवल स्वस्थ भागों को काटा जाता है।	महत्वपूर्ण			
3.1.5	फसल की उचित घटनाविज्ञानी अवस्था में कटाई : औषधीय पादप उत्पाद में जैविक रूप से सक्रिय पदार्थों की इष्टतम मात्रा सुनिश्चित करने के लिए, क्या फसल की कटाई उचित घटनाविज्ञानी विकासगत अवस्था में की जाती है?	अतिमहत्वपूर्ण			
3.1.6	संग्रहण के लिए मौसम की स्थितियां : क्या कटाई का कार्य मौसम की उचित स्थितियों में किया जा गया है? जब आर्द्र स्थितियों में कटाई अनिवार्य रूप से करनी पड़े, तो क्या उत्पाद को शीघ्र सुखाने के लिए समुचित प्राविधान किए जाते हैं?	महत्वपूर्ण			

	क्या ओस से बचने के लिए सुबह जल्दी संग्रहण नहीं किया जाता है?	मामूली			
3.1.7	<p>उत्पाद की छंटाई :</p> <p>क्या औषधीय पादप उत्पाद की छंटाई किसी कम पकी हुई या अधिक पकी हुई फसल से किया जाता है, जिससे लॉट की समग्र गुणवत्ता में कमी हो सकती है?</p> <p>जब व्यापार उत्पादों की ग्रेड के आधार पर होता है, तो क्या छंटाई के मापदंड और ग्रेडिंग निष्पक्ष आधार पर निर्धारित किए जाते हैं?</p>	महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण			
3.1.8	<p>बाह्य पदार्थ:</p> <p>क्या औषधीय पादप उत्पादों के साथ बाह्य पदार्थों के किसी भी आकस्मिक मिश्रण से बचाने की व्यवस्था की जाती है जैसे कि मिट्टी के कण, पत्ते, तने, लकड़ी के टुकड़े या खाद्य पदार्थों के जैसे कार्बनिक पदार्थ इत्यादि?</p> <p>क्या संग्राहक एक साथ काटे जाने वाले या प्रसंस्कृत किए जाने वाले औषधीय पादप उत्पादों को एक-दूसरे में मिश्रित होने व संदूषित होने से बचाने के लिए ज़रूरी सावधानी बरतते हैं?</p>	महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण			
3.1.9	<p>विषैले खर-पतवार मिश्रित होना :</p> <p>फसल की कटाई के समय क्या यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाती है कि औषधीय पादपों के मध्य उगे विषैले खर-पतवार उत्पाद के साथ मिश्रित न हों?</p>	महत्वपूर्ण			
3.2	पर्यावरणीय विवेचन				
3.2.1	<p>प्रजातियों का संरक्षण स्तर</p> <p>क्या नियंत्रक लोगों (उदाहरण के लिए वन एवं वन्य जीव क्षेत्र के अधिकारी) और संग्राहकों को वांछित प्रजातियों के पौधों के वर्तमान संरक्षण स्तर की जानकारी है?</p>	अतिमहत्वपूर्ण			
3.2.2	<p>संवेदनशील प्रजातियां :</p> <p>क्या संग्रह प्रबंधकों को संग्रहण स्थलों में उपलब्ध स्थानीय पादप प्रजातियों के बारे में जानकारी है?</p>	महत्वपूर्ण			
3.2.3	<p>प्रजातियों का वितरण :</p> <p>क्या किन्हीं पादप प्रजातियों के संग्रहण की मात्रा, संग्रहण वाले क्षेत्र में प्रजातियों के वितरण के अनुपात में होता है?</p>	महत्वपूर्ण			

3.2.4	प्रजातियों का पुनर्जनन : क्या औषधीय पादप प्रजातियों की कटाई उनके पुनर्जनन की क्षमता की सीमाओं के भीतर की जाती है?	महत्वपूर्ण			
3.2.5	संग्रहण की आवृत्ति : क्या किसी औषधीय पादप उत्पाद की मांग होने के बावजूद उसके संग्रहण चक्र में पादप प्रजातियों या उत्पाद के पुनर्जनन चक्र के साथ समकालिक करने के लिए पर्याप्त अंतराल रखा जाता है?	मामूली			
3.2.6	स्रोत पौधे के लिए नुकसान को न्यूनतम करना : पौधों के वांछित भाग, जैसे कि पत्ते, फल, फूल, बीज इत्यादि, संग्रहीत करते समय क्या ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि पौधों के इन भागों की कटाई के समय पौधों को न्यूनतम नुकसान हो?	मामूली			
3.2.7	प्राकृतिक ठिकाने का प्रबंधन : फसल की कटाई के समय, क्या संग्राहक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्रजातियों के प्राकृतिक ठिकाने को न्यूनतम क्षति पहुंचाना सुनिश्चित करते हैं?	महत्वपूर्ण			
3.3	सामाजिक सोच-विचार :				
3.3.1	प्रजातियों का स्थानीय इस्तेमाल : क्या जंगल से क्रिया जाने वाला औषधीय पादप उत्पाद का संगठित संग्रहण स्थानीय लोगों के वास्तविक अधिकारों तथा प्रजातियों की उपलब्धता को प्रभावित करता है?	महत्वपूर्ण			
3.3.2	उचित मूल्य : क्या औषधीय पादप उत्पादों के संग्राहक अपने प्रयासों के अनुरूप मूल्य पाते हैं?	मामूली			
3.3.3	लाभ वितरण : क्या औषधीय पौधों के उत्पादों के सभी हितधारकों द्वारा पालन किए जाने वाले उचित और समान लाभ साझा करने के लिए एक तंत्र विकसित किया गया है?	मामूली			
3.3.4	सांस्कृतिक सोच-विचार : क्या औषधीय पादप उत्पाद की कटाई और कटाई के बाद का प्रबंधन नैतिक संहिता और स्थानीय समुदाय और उस क्षेत्र के नियमों के अनुसार किया जाता है जिसमें वे गतिविधियाँ संचालित होती हैं और इन मूल्यों को सम्मान दिया जाता है?	मामूली			

4	फसल की कटाई के बाद का प्रबंधन				
4.1	प्राथमिक प्रक्रिया : क्या औषधीय पादप उत्पाद की कटाई के बाद उत्पाद की गुणवत्ता के संरक्षण व निधानी आयु में बढोत्तरी के लिए समयबद्ध व उचित प्रसंस्करण किया जाता है?	महत्वपूर्ण			
	क्या औषधीय पादप उत्पाद को कहीं प्रेषित करने या भंडारण हेतु पैकिंग करने से पहले समुचित रूप से सुखाया जाता है?	महत्वपूर्ण			
4.2	सुखाना				
4.2.1	क्या काटी गई फसल, जो कि आकृतिक रूप से मोटी, मांसल या बड़े आकार की होती है, को समुचित रूप से सुखाने के लिए छोटे-छोटे / महीन टुकड़ों में काटा जाता है?	महत्वपूर्ण			
4.2.2	जहां उत्पाद का निर्माण पौधे के कोमल तथा सुगंधित भाग से होता है, क्या वे केवल छाया में सुखाए जाते हैं?	महत्वपूर्ण			
4.2.3	खुली धूप या हवा से सुखाने के मामले में, क्या औषधीय पादप उत्पाद को सुखाने वाले फ्रेम पर पतली परत में फैलाया जाता है?	मामूली			
4.2.4	क्या सुखाने के चक्र (धूप में या छाया में सुखाना) में, शाम के समय सामग्री को ढके हुए या आंशिक रूप से ढके हुए स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है?	मामूली			
4.2.5	जहां सुखाने के कृत्रिम साधन जैसे कि ओवन या गर्म हवा का उपयोग किया जाता है, तो क्या मानक प्रक्रिया अपनाई जाती है?	महत्वपूर्ण			
5	पैकेजिंग एवं भंडारण				
5.1	पैकेजिंग				
5.1.1	क्या औषधीय पादप उत्पाद से भरे हुए डिब्बों को ऊष्मा, आर्द्रता तथा तापमान से सुरक्षित रखा जाता है और उन्हें दूषित होने से बचाने की व्यवस्था की जाती है?	अतिमहत्वपूर्ण			
5.1.2	क्या भारी मात्रा में सामग्री (जैसे कि शंखपुष्पी, भृंगराज, भूमिअम्लकी इत्यादि) के रखरखाव के लिए मानवीय/यांत्रिक रूप से संचालित कॉम्पैक्टर का उपयोग करते हुए कॉम्पैक्शन / बेल पैकिंग की जाती है?	महत्वपूर्ण			
5.1.3	क्या औषधीय पादप उत्पादों के प्रत्येक डिब्बे पर समुचित लेबल लगाया गया है?	महत्वपूर्ण			

5.2	भंडारण				
5.2.1	क्या औषधीय पादप उत्पादों को ऐसे समर्पित भंडारगृहों में भंडारित किया जाता है जिनका निर्माण इस तरह से किया गया है कि चूहों, गिलहरियों, पक्षियों या अन्य पशुओं के प्रवेश को रोका जा सके और क्या वे नमी, गंदगी व धूल से मुक्त हैं?	महत्वपूर्ण			
5.2.3	क्या औषधीय पादप उत्पादों के सील किए हुए और लेबल लगे हुए डिब्बे ठंडे व शुष्क स्थान पर लकड़ी की पट्टिका पर रखे जाते हैं?	महत्वपूर्ण			
5.2.4	क्या भंडारण प्रबंधन - प्राप्ति, भंडारण तथ जारी करने / डिस्पैच करने के मामले में समुचित सावधानी बरती जाती है?	महत्वपूर्ण			
5.2.5	क्या प्रत्येक लॉट के आवागमन के लिए इसके लेबल पर निधानी आयु तथा FIFO (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) की घोषणा होती है?	अतिमहत्वपूर्ण			
5.2.6	क्या आर्द्रताग्राही तथा वाष्पशील सामग्री के भंडारण के लिए अलग से जलवायु (तापमान तथा आर्द्रता) नियंत्रित केन्द्र का प्राविधान किया गया है?	मामूली			
5.2.7	क्या रेजिन, गम-रेजिन, तेल इत्यादि के जैसे ज्वलनशील उत्पाद बंद डिब्बों में एकांत में स्थित स्थानों पर रखे जाते हैं?	महत्वपूर्ण			
6	विभिन्न संचालनों में प्रयुक्त होने वाली मशीनरी तथा उपकरण				
6.1	क्या मापन उपकरण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अंशांकित किए जाते हैं और अंशांकन प्रमाणपत्र/रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं?	महत्वपूर्ण			
6.2	क्या उपकरणों व मशीनरी के सुचारू रूप से कार्य करने लायक बनाए रखने के लिए निर्धारित सर्विसिंग प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं?	महत्वपूर्ण			
6.3	उन मशीनों/मशीन के भागों की सफाई के लिए समुचित सावधानी बरती जानी चाहिए जो कटे हुए औषधीय पादपों के सीधे संपर्क में आते हैं।	महत्वपूर्ण			
6.4	क्या खुदाई, कटाई, छंटाई, और छीलने तथा अन्य गतिविधियों के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण उपयुक्त हैं तथा विषरहित सामग्री से बने हैं?	अतिमहत्वपूर्ण			
6.5	क्या उपकरण व टूल, विशेष रूप से वे जो उत्पाद के सीधे संपर्क में आते हैं, साफ-सुथरा हैं तथा किसी संभावित संदूषकों जैसे कि पेंट, लुब्रिकेंट इत्यादि से मुक्त हैं, तथा इन्हें एक-दूसरे से संदूषित होने से बचाने के लिए उपयुक्त कार्यकारी स्थितियों में बनाया जाता है?	महत्वपूर्ण			
7	आइडेंटिफिकेशन (पहचान) एवं ट्रेसिबिलिटी (जिसका पता लगाया जा सके)				

7.1	आइडेंटिफिकेशन (पहचान)				
7.1.1	क्या पैकेटों/डिब्बों पर उत्पाद का नाम, पादप के भाग, कटाई का माह व वर्ष तथा संग्रहण केन्द्र के नाम का स्पष्ट उल्लेख है?	महत्वपूर्ण			
7.2	ट्रेसिबिलिटी (जिसका पता लगाया जा सके)				
7.2.1	क्या संग्रहण केन्द्र से पादप उत्पाद के बारे में यह पता लगाया जा सकता है कि उसे कहां उगाया गया है?	अतिमहत्वपूर्ण			
8	अभिलेखन				
8.1	क्या पादप प्रजातियों, संग्रहण के क्षेत्र, तथा संग्रहण के समय, अधिनियमन सूचना इत्यादि के बारे में मूलभूत सूचना प्राप्त की गई है?	अतिमहत्वपूर्ण			
8.3	क्या उत्पाद की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली समस्त प्रक्रियाओं / घटनाओं का उल्लेख किया गया है?	महत्वपूर्ण			
8.4	क्या विभिन्न अनुबंधों से संबंधित अभिलेख तैयार किए गए हैं?	अतिमहत्वपूर्ण			
8.5	क्या कृत्रिम रूप से सुखाने के लिए शुष्कन स्थितियों और तापमान रेंज का रिकॉर्ड तैयार किया गया है?	महत्वपूर्ण			
8.6	क्या अधिकारियों से ली गई समस्त अनुमतियों के अभिलेख तैयार किए गए हैं?	अतिमहत्वपूर्ण			
9	प्रशिक्षण एवं निगरानी				
9.1	प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण :				
9.1.1	क्या गुणवत्तापूर्ण उत्पाद का संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए, पर्यावरण पर बिना कोई नकारात्मक प्रभाव डाले सभी संग्राहकों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया गया है?	महत्वपूर्ण			
9.1.2	क्या संग्राहकों ने औषधीय पादपों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में पर्याप्त प्रशिक्षण लिया है?	महत्वपूर्ण			
9.1.3	क्या संग्राहकों को औषधीय पादप उत्पादों की कटाई का पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में जानकारी है?	महत्वपूर्ण			
9.1.4	क्या संग्राहकों को विभिन्न औषधीय पौधों के उचित संग्रह सीजन / समय के बारे में प्रशिक्षण और जानकारी प्रदान की जाती है?	मामूली			
9.1.5	क्या संग्राहकों व कर्मचारियों को स्वच्छता व सुरक्षा के बारे में उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है?	महत्वपूर्ण			
9.2	आधारभूत मूल्यांकन एवं निगरानी :				

9.2.1	क्या जंगल में औषधीय पादप उत्पाद की उपलब्धता का आधारभूत मूल्यांकन किया गया है?	महत्वपूर्ण			
9.2.2	क्या फसल के स्थायी स्तर पर मूल्यांकन किए गए हैं?	महत्वपूर्ण			
10	कामगारों का स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा तथा उनका कल्याण				
10.1	जोखिम प्रबंधन				
10.1.1	क्या संग्राहकों के पास सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्यकारी स्थितियों के लिए लिखित जोखिम मूल्यांकन उपलब्ध है?	महत्वपूर्ण			
10.1.2	क्या संग्राहकों के पास लिखित स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं स्वच्छता नीतियां एवं प्रक्रियाएं हैं?	महत्वपूर्ण			
10.1.3	क्या संग्राहकों के स्वास्थ्य के स्तर का मूल्यांकन किया जाता है?	महत्वपूर्ण			
10.2	प्रशिक्षण				
10.2.1	क्या संग्राहकों व कर्मचारियों ने स्वास्थ्य व सुरक्षा के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण लिया है और क्या उन्हें जोखिम मूल्यांकन के अनुसार निर्देश दिए गए हैं?	महत्वपूर्ण			
10.2.2	जब संग्रहण गतिविधियां चल रही होती हैं, तब क्या प्रत्येक संग्रहण केन्द्र पर प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित उपयुक्त संख्या में (कम से कम एक व्यक्ति) लोग उपस्थित रहते हैं?	महत्वपूर्ण			
10.3	जोखिम एवं प्राथमिक चिकित्सा				
10.3.1	क्या दुर्घटना एवं आकस्मिक प्रक्रियाएं मौजूद हैं; क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया है और संग्रहण गतिविधियों में शामिल समस्त लोगों को उनके बारे में जानकारी प्रदान की गई है?	महत्वपूर्ण			
10.3.2	क्या संभावित जोखिमों को स्पष्ट रूप से चेतावनी चिन्हों द्वारा चिह्नित किया गया है और उन्हें यथास्थान लगाया गया है?	मामूली			
10.4	सुरक्षात्मक पोषाक / उपकरण				
	क्या सभी संग्राहकों को विधिक ज़रूरतों और/या लेबल निर्देशों या सक्षम अधिकारी के विनिर्देशों के अनुपालन में उपयुक्त सुरक्षात्मक पोषाकें उपलब्ध कराई गई हैं?	महत्वपूर्ण			
11	रिकॉर्ड का रखरखाव एवं आंतरिक स्व-मूल्यांकन / आंतरिक निरीक्षण				
11.1	क्या वे समस्त रिकॉर्ड पहुंच में हैं जिनके बारे में बाह्य निरीक्षण के दौरान अनुरोध किया गया था और उन्हें कम से कम दो वर्षों के लिए तब तक सुरक्षित रखा गया है जब तक विशिष्ट नियंत्रण बिंदुओं में उल्लेखित ज़रूरतें समाप्त नहीं हो जाती हैं?	महत्वपूर्ण			

11.2	क्या प्रबंधक इस मानक की ज़रूरत के अनुसार प्रति वर्ष न्यूनतम एक आंतरिक स्व-मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी लेता है?	महत्वपूर्ण			
11.3	क्या आंतरिक स्व-मूल्यांकन के दौरान पाई गई गैर-अनुरूपता के परिणामस्वरूप प्रभावी सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है?	महत्वपूर्ण			

GAP के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के मूल्यांकन हेतु जांच-सूची

		नियंत्रण बिंदु	अनुपालन (हां/नहीं)	लागू नहीं	प्रामाणिकता / टिप्पणियां
QM1		उत्पादक समूह क्या होता है?			
1		क्या उत्पादक समूह की संरचना पूरे समूह में एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अनुप्रयोग को सक्षम बनाती है?			
2		क्या मौजूदा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) यह सुनिश्चित करने (और ऑडिट के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए) के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत है कि समूह के पंजीकृत उत्पादक सदस्य / उत्पादन स्थल GAP मानक की ज़रूरतों के साथ एक समान तरीके से अनुपालन करते हैं?			
3		क्या उत्पादक समूह के पंजीकृत सदस्य कानूनी रूप से अपने संबंधित उत्पादन स्थलों के लिए जिम्मेदार हैं?			
4		क्या उत्पादक समूह एक बहु-स्थलीय परिचालन नहीं है जहां एक व्यक्ति या एक संगठन कई उत्पादन स्थलों या "खेतों" का मालिक है, जो कि अपने आप में अलग-अलग विधिक संस्थाएं नहीं हैं?			
5		क्या पूरी फसल प्रमाणन के लिए पंजीकृत है?			
QM2		प्रशासन तथा संरचना			
2.1		वैधता			
	1	क्या कोई ऐसा दस्तावेज है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आवेदक उत्पादक समूह विधिक इकाई है या उससे संबंधित है?			
	2	क्या विधिक इकाई को कृषि उत्पादन और / या व्यापार करने के लिए विधिक अधिकार दिया गया है, और वह समूह के सदस्यों के साथ कानूनी रूप से अनुबंध करने और उनका प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है?			
	3	क्या इस विधिक इकाई के पास उत्पादों के उत्पादन, रखरखाव और स्वामित्व की सीधी जिम्मेदारी है, इस प्रकार यह GAP मानक के अनुपालन के लिए जिम्मेदार है?			
	4	क्या विधिक इकाई एक अनुमोदित CB के साथ अनुबंध के साथ एक संविदात्मक संबंध स्थापित करती है, और GAP प्रमाणपत्र की एकमात्र धारक बन जाती है?			
QM2.2		संरचना			
	1	क्या उत्पादक समूह की प्रशासनिक संरचना प्रलेखित है और क्या इसमें उत्पादकों और विधिक इकाई के मध्य संबंधों का स्पष्ट रूप से उल्लेख है?			
QM2.3		संविदा अभिलेखन			
	1	क्या प्रत्येक उत्पादक तथा विधिक इकाई के मध्य लिखित रूप से हस्ताक्षरित अनुबंध है?			
		क्या अनुबंध में निम्न सूचना शामिल है :			

	2	उत्पादक का नाम या राजस्व संबंधी पहचान?			
	3	संपर्क पता?			
	4	व्यक्तिगत उत्पादन स्थलों का विवरण?			
	5	GAP मानक की ज़रूरतों के अनुपालन के प्रति प्रतिबद्धता?			
	6	समूह की प्रलेखित प्रक्रियाओं, नीतियों और आवश्यकतानुसार प्रदान की गई तकनीकी सलाह का अनुपालन करने के लिए समझौता?			
	7	वे उल्लंघन जिनका उपयोग पूरी न की जाने वाली GAP और किसी अन्य आंतरिक ज़रूरतों के मामले में किया जा सकता है?			
2.4		उत्पादक रजिस्टर			
1		क्या GAP मानकों के अनुपालन में सभी GAP सदस्य उत्पादकों तथा उत्पादन के लिए प्रयुक्त होने वाले सभी लागू स्थलों का रजिस्टर तैयार किया गया है?			
2		क्या उत्पादक रजिस्टर में सभी सदस्य उत्पादक, GAP डेटाबेस पर ज़रूरतों के अनुसार निजी रूप से पंजीकृत हैं?			
3		क्या रजिस्टर में प्रत्येक उत्पादक का नाम उपलब्ध है?			
4		क्या रजिस्टर में संपर्क सूत्र का नाम उपलब्ध है?			
5		क्या रजिस्टर में प्रत्येक उत्पादक सदस्य का पूरा पता (रिहायशी तथा डाक) उपलब्ध है?			
6		संपर्क का माध्यम (टेलीफोन नंबर तथा ई-मेल व/या फ़ैक्स नंबर)			
7		क्या रजिस्टर में उत्पादन वाले देश के लिए आवश्यकतानुसार कोई अन्य ID (VAT नंबर इत्यादि) उपलब्ध है?			
8		क्या रजिस्टर में प्रत्येक उत्पादक सदस्य द्वारा पंजीकृत उत्पाद उपलब्ध है?			
9		क्या रजिस्टर में प्रत्येक पंजीकृत उत्पाद के लिए उपज/उत्पादन के क्षेत्रफल तथा/या मात्रा से संबंधित सूचना उपलब्ध है?			
10		यदि उत्पादक 1 से अधिक CB का उपयोग करता है, तो क्या रजिस्टर में प्रमाणन निकाय/निकायों से संबंधित सूचना उपलब्ध है?			
11		क्या रजिस्टर में प्रत्येक उत्पादक सदस्य के लिए आंतरिक निरीक्षण तिथि उपलब्ध है?			
12		क्या रजिस्टर में प्रत्येक उत्पादक सदस्य का वर्तमान विवरण उपलब्ध है?			
13		क्या विधिक इकाई के उन उत्पादकों को अलग से सूचीबद्ध किया गया है जिन्होंने GAP प्रमाणन के लिए आवेदन नहीं किया है?			
QM3		प्रबंधन एवं संगठन			
3.1		संरचना			
1		क्या उत्पादक समूह के पास प्रबंधन संरचना और पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित संसाधन हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पंजीकृत उत्पादक अपने उत्पादन स्थलों पर GAP की ज़रूरतों को पूरा करें?			
2		क्या समूह की संगठनात्मक संरचना प्रलेखित है?			
3		क्या इसमें समूह में GAP के कार्यान्वयन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार GAP प्रबंधन प्रतिनिधि - व्यक्ति या विभाग के बारे में जानकारी शामिल है?			

4	क्या इसमें आंतरिक निरीक्षकों - समूह के प्रत्येक उत्पादक सदस्य के वार्षिक रूप से आंतरिक निरीक्षण के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम शामिल हैं; जो कि आंतरिक समूह निरीक्षक के लिए निर्धारित योग्यता मानदंडों के अनुपालन में है।			
5	क्या इसमें आंतरिक ऑडिटर - गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के ऑडिट के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम शामिल हैं, जो कि आंतरिक समूह ऑडिटर के लिए निर्धारित योग्यता मानदंडों के अनुपालन में है।			
6	क्या इसमें कृषि संबंधी या पशुधन से संबंधित तकनीकी व्यक्ति/विभाग - समूह को तकनीकी परामर्श के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से संबंधित सूचना शामिल है?			
7	क्या इसमें गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (QMS) से संबंधित व्यक्ति/विभाग - QMS के प्रबंधन हेतु जिम्मेदार व्यक्ति से संबंधित सूचना शामिल है?			
3.2	दायित्व एवं कर्तव्य			
1	क्या GAP ज़रूरतों के अनुपालन में शामिल सभी कर्मियों के कर्तव्यों और दायित्वों को प्रलेखित किया गया है, और क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो पर्याप्त वरिष्ठता धारक है और जिसके पास समग्र रूप से जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में सेवा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, उसे GAP प्रमाणन के अनुरक्षण के लिए नामांकित किया जा सकता है?			
QM4	स्टॉफ़ की योग्यता एवं प्रशिक्षण			
1	क्या समूह यह सुनिश्चित करता है कि GAP मानक के अनुपालन की जिम्मेदार सभी कर्मी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं और परिभाषित योग्यता ज़रूरतों को पूरा करते हैं?			
2	क्या मुख्य कर्मचारियों के लिए सक्षमता संबंधी आवश्यकताएँ, प्रशिक्षण और योग्यताएँ प्रलेखित हैं और क्या ये किसी परिभाषित योग्यता ज़रूरतों को पूरा करती हैं?			
3	क्या योग्यता प्रदर्शित करने के लिए GAP ज़रूरतों के अनुपालन में शामिल सभी प्रमुख कर्मचारियों (प्रबंधकों, लेखा परीक्षकों, निरीक्षकों आदि) के लिए योग्यता और प्रशिक्षण के रिकॉर्ड बनाए जाते हैं?			
4	क्या आंतरिक ऑडिटर और निरीक्षक प्रशिक्षण और जॉब ऑडिट की मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजरते हैं, ताकि उनके दृष्टिकोण और मानक की व्याख्या में स्थिरता सुनिश्चित हो सके?			
	क्या यह प्रदर्शित करने के लिए तंत्र है कि प्रमुख कर्मचारियों को सूचित किया जाता हो और उन्हें विकास, मुद्दों और संबद्ध विधायी परिवर्तनों के बारे में जीजीएपी मानक के अनुपालन के विषय में जानकारी है?			
QM5	गुणवत्ता नियमावली			
1	क्या संचालन और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रलेखित GAP मानकों से संबंधित हैं और वे गुणवत्ता नियमावली में शामिल हैं?			
2	क्या नीतियाँ और प्रक्रियाएँ GAP मानक की प्रमुख ज़रूरतों के समूह के नियंत्रण को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त रूप से विस्तृत हैं?			

3	क्या संबंधित प्रक्रिया और नीतियां उत्पादक समूह के पंजीकृत सदस्यों और प्रमुख कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं?			
4	क्या गुणवत्ता नियमावली के प्रलेखों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह GAP मानक और उत्पादक समूह की ज़रूरतों को पूरा करता रहे?			
QM6	अभिलेख नियंत्रण			
6.1	गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (QMS) से संबंधित अभिलेख			
1	क्या GAP अनुपालन के लिए QMS के संचालन से संबंधित सभी अभिलेख मौजूद हैं और क्या वे गुणवत्ता नियमावली सहित पर्याप्त रूप से नियंत्रित हैं?			
2	क्या GAP अनुपालन के लिए QMS के संचालन से संबंधित सभी अभिलेख मौजूद हैं और क्या वे संचालन प्रक्रियाओं सहित पर्याप्त रूप से नियंत्रित हैं?			
3	क्या GAP अनुपालन के लिए QMS के संचालन से संबंधित सभी अभिलेख मौजूद हैं और क्या वे कार्य विनिर्देशों सहित पर्याप्त रूप से नियंत्रित हैं?			
4	क्या GAP अनुपालन के लिए QMS के संचालन से संबंधित सभी अभिलेख मौजूद हैं और क्या वे रिकॉर्डिंग फॉर्मस सहित पर्याप्त रूप से नियंत्रित हैं?			
5	संबद्ध बाह्य मानक, उदाहरण के लिए वर्तमान GAP मानक संबंधी अभिलेख।			
6.2	गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली अभिलेख नियंत्रण ज़रूरतें			
1	क्या अभिलेखों के नियंत्रण को परिभाषित करने वाली लिखित प्रक्रियाएं हैं?			
2	क्या समस्त प्रलेखन को जारी करने तथा वितरित करने से पूर्व अधिकृत कर्मचारी द्वारा उनका अवलोकन व सत्यापन किया जाता है?			
3	क्या सभी नियंत्रित अभिलेखों को जारी संख्या, जारी करने की तिथि / समीक्षा की तिथि तथा समुचित पृष्ठ संख्या द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है?			
4	क्या इसके वितरण से पहले अधिकृत कर्मियों द्वारा इन अभिलेखों में किसी भी बदलाव का अवलोकन व अनुमोदन किया गया है? किए गए परिवर्तनों के कारणों और प्रकृति की यथासंभव व्याख्या की गई है?			
5	क्या किसी भी स्थान पर, जहां क्यूएमएस को नियंत्रित किया जा रहा है, सभी संबद्ध अभिलेखों की एक प्रति उपलब्ध है?			
6	क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था है कि अभिलेख की समीक्षा की जाए और नए अभिलेखों के जारी होने के बाद अप्रचलित अभिलेखों को प्रभावी रूप से नष्ट कर दिया जाए?			
QM7	रिकॉर्ड			
1	क्या समूह GAP गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की ज़रूरतों के प्रभावी नियंत्रण और GAP मानक की ज़रूरतों के अनुपालन के लिए रिकॉर्ड तैयार करता है?			
2	क्या GAP ज़रूरतों के अनुपालन से संबंधित QMS के रिकॉर्ड न्यूनतम 3 वर्षों के लिए रखे गए हैं?			

3	क्या सभी अभिलेख वास्तविक, सुपाठ्य, उपयुक्त परिस्थितियों में संग्रहीत और भंडारित किए गए हैं और क्या वे आवश्यकतानुसार निरीक्षण के लिए सुलभ हैं?			
4	क्या ऑन-लाइन या इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखे गए रिकॉर्ड मान्य हैं? यदि हस्ताक्षर की ज़रूरत है, तो क्या कोई पासवर्ड या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है जो हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के विशिष्ट संदर्भ और प्राधिकरण को सुनिश्चित करता है? यदि जिम्मेदार व्यक्ति के लिखित हस्ताक्षर की ज़रूरत है, तो क्या वह उपलब्ध है? क्या CB के निरीक्षणों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उपलब्ध रहते हैं और क्या हर समय बैक-अप उपलब्ध रहते हैं?			
QM8	शिकायतों का निस्तारण			
1	क्या समूह के पास ग्राहकों की शिकायतों के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रणाली है?			
2	क्या कोई प्रलेखित प्रक्रिया है जो बताती है कि शिकायतें कैसे दर्ज की जाती हैं, पंजीकृत की जाती हैं, चिन्हित की जाती हैं, जांची जाती हैं, और उनकी समीक्षा की जाती है?			
3	क्या ग्राहकों को आवश्यकतानुसार प्रक्रिया उपलब्ध होती है?			
4	क्या प्रक्रिया समूह और व्यक्तिगत उत्पादकों के विरुद्ध दोनों शिकायतों को कवर करती है?			
QM9	आंतरिक ऑडिट एवं निरीक्षण			
9.1	गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का ऑडिट			
1	क्या प्रलेखित QMS की पर्याप्तता और अनुपालन का आकलन करने और GAP मानक के विरुद्ध उत्पादकों और खेतों का निरीक्षण करने के लिए दोनों में एक आंतरिक ऑडिट प्रणाली है?			
2	क्या ऑडिटर को आंतरिक समूह ऑडिटर के लिए निर्धारित GAP ज़रूरतों का अनुपालन करते हुए आंतरिक को QMS का आंतरिक ऑडिट करना चाहिए?			
3	क्या GAP स्कीम के लिए QMS का ऑडिट कम से कम वार्षिक आधार पर किया जाता है?			
4	क्या आंतरिक ऑडिटर समुचित रूप से प्रशिक्षित हैं और ऑडिट किए जाने वाले क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं?			
5	क्या CB बाह्य ऑडिट के दौरान आंतरिक ऑडिटर की अनुकूलता की जाँच करके उसकी क्षमता का मूल्यांकन करता है?			
6	क्या ऑडिट के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले आंतरिक ऑडिट योजना, ऑडिट के निष्कर्ष और उसके बाद की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाइयों के रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं और उपलब्ध रहते हैं?			
9.2	उत्पादक एवं उत्पादन स्थल के निरीक्षण			
1	क्या GAP मानके विरुद्ध उत्पादकों व खेतों के निरीक्षण के लिए कोई आंतरिक निरीक्षण तंत्र मौजूद है?			
2	क्या आंतरिक निरीक्षक, खेत के निरीक्षण के लिए जिम्मेदार आंतरिक समूह निरीक्षक के लिए निर्धारित GAP ज़रूरतों का			

	अनुपालन करते हैं?			
3	क्या प्रत्येक पंजीकृत उत्पादक तथा उत्पादन स्थल के लिए GAP चेकलिस्ट के आधार पर कम से कम प्रति वर्ष एक बार जीएपी नियंत्रण बिंदुओं और अनुपालन मानदंड के विरुद्ध निरीक्षण किए जाते हैं? क्या सभी अतिमहत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण और मामूली नियंत्रण बिंदुओं का पूर्ण निरीक्षण किया जाता है?			
4	क्या निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा उत्पादक के स्तर की समीक्षा के लिए कोई प्रक्रिया है?			
5	क्या समूह के नए सदस्यों को GAP पंजीकृत उत्पादकों की सूची में शामिल करने से पूर्व उनका सदैव निरीक्षण किया जाता है?			
6	क्या मूल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं नोट तैयार किए जाते हैं और आवश्यकतानुसार CB के निरीक्षण के समय उपलब्ध रहते हैं?			
7	क्या निरीक्षण प्रतिवेदन में पंजीकृत उत्पादक व उत्पादन स्थल की पहचान का उल्लेख होता है?			
8	क्या निरीक्षण प्रतिवेदन में पंजीकृत उत्पादक के हस्ताक्षर होते हैं?			
9	क्या निरीक्षण प्रतिवेदन में निरीक्षण की तिथि का उल्लेख होता है?			
10	क्या निरीक्षण प्रतिवेदन में निरीक्षक के नाम का उल्लेख होता है?			
11	क्या निरीक्षण प्रतिवेदन में पंजीकृत उत्पादों का उल्लेख होता है?			
12	क्या निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रत्येक GAP नियंत्रण बिंदु के विरुद्ध मूल्यांकन के परिणाम का उल्लेख है?			
13	क्या जांच-सूची में वह विवरण शामिल है जिसे घटना के बाद समीक्षा किए जाने वाले ऑडिट ट्रेल को सक्षम बनाने के लिए सभी अतिमहत्वपूर्ण जांच-सूची के कमेंट सेक्शन में सत्यापित किया गया था?			
14	क्या निरीक्षण प्रतिवेदन में चिन्हित किसी अपालन का विवरण तथा सुधारात्मक कार्यवाही की समयावधि का उल्लेख है?			
15	क्या निरीक्षण प्रतिवेदन में उत्पादक सदस्य के GAP स्तर का उल्लेख है?			
16	क्या आंतरिक ऑडिट टीम आंतरिक निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाले आंतरिक प्रतिवेदन के आधार पर इस बात का निर्णय लेती है कि क्या उत्पादक GAP जरूरतों का अनुपालन करता है?			
9.3	अपालन तथा सुधारात्मक कार्यवाही तंत्र			
1	क्या अपालन और सुधारात्मक कार्यवाहियों के निस्तारण के लिए कोई प्रक्रिया मौजूद है जिसकी परिणति आंतरिक या बाह्य ऑडिट और / या निरीक्षण, ग्राहक शिकायतों या QMS की विफलताओं रूप में हो सकती है?			
2	क्या समूह या उसके सदस्यों द्वारा किए जाने वाले QMS के अपालन की पहचान व मूल्यांकन के लिए प्रलेखित प्रक्रियाएं मौजूद हैं?			
3	क्या अपालन की स्थितियों के बाद की सुधारात्मक कार्यवाहियों का मूल्यांकन किया जाता है, और कार्यवाही के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है?			
4	क्या सुधारात्मक कार्यवाहियों के क्रियान्वयन तथा निस्तारण के लिए दायित्वों को परिभाषित किया गया है?			

QM10	प्रोडक्ट ट्रेसिबिलिटी एवं पृथक्करण			
1	क्या उत्पाद GAP मानक की ज़रूरतों को पूरा करता है और उसका विपणन व रखरखाव इस तरह से किया जाता है कि वह ऐसे उत्पादों में मिश्रित नहीं होता है जो कि GAP मानकों द्वारा सत्यापित नहीं हैं?			
2	क्या पंजीकृत उत्पादों की पहचान और लागू उत्पादन स्थलों की सदृशता और असदृशता दोनों के लिए सभी उत्पादों की ट्रेसिबिलिटी को सक्षम करने के लिए प्रलेखित प्रक्रिया है? क्या विधिक इकाई के अनुपालन को प्रदर्शित करने के लिए सामूहिक संतुलन स्थापित करने का कार्य किया जाता है?			
3	? क्या उत्पादन के रखरखाव स्थल पर उन प्रक्रियाओं का संचालन किया जाता है जो पंजीकृत उत्पाद को रसीद से रखरखाव, भंडारण और प्रेषण के माध्यम से पहचान योग्य और पता लगाने योग्य बनाती हैं?			
4	क्या ऐसे प्रभावी तंत्र व प्रक्रियाएं हैं जिससे गलत लेबल लगने या GAP प्रमाणित उत्पादों को बिना GAP प्रमाणित उत्पादों के साथ मिश्रित होने के जोखिम को समाप्त कर सकें?			
QM11	अनुमोदन तथा असदृशताएं			
1	क्या समूह अनुमोदन तथा अपने उत्पादकों के साथ असदृशताओं की प्रणाली का संचालन करता है?			
2	क्या व्यक्तिगत उत्पादकों के साथ अनुबंध अनुमोदनों की प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं जिसमें चेतावनी, निलंबन और निरस्तीकरण के स्तर शामिल हैं?			
3	क्या समूह के पास पंजीकृत उत्पादकों के निलंबन या निरस्तीकरण के बारे में GAP अनुमोदित प्रमाणन निकाय को तत्काल सूचित करने के लिए तंत्र है?			
4	क्या अनुवर्ती सुधारात्मक कार्रवाइयों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के साक्ष्य सहित सभी अनुमोदनों के रिकॉर्ड तैयार किए गए हैं?			
QM12	प्रमाणित उत्पाद की वापसी			
1	क्या पंजीकृत उत्पादों की वापसी के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रलेखित प्रक्रियाएं मौजूद हैं?			
2	क्या ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो उन घटना के प्रकारों जिसके परिणामस्वरूप वापसी हो सकती है, उत्पाद की संभावित वापसी पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों, ग्राहकों को सूचित करने के लिए तंत्र और GAP द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय तथा स्टॉक को समेटने के तरीकों को चिन्हित करती हैं?			
3	क्या प्रक्रिया का संचालन किसी भी समय किया जा सकता है?			
4	क्या प्रक्रिया की प्रभाविता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार उपयुक्त तरीके से इसका परीक्षण किया जाता है?			
QM13	उप-ठेकेदार			
1	क्या कोई ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि तीसरे पक्ष को उप-ठेके पर दी जाने वाली सेवा के मामले में भी GAP मानक की ज़रूरतों का अनुपालन किया जाता है?			

2	क्या यह प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं कि किसी उप-ठेकेदार की कार्य-निर्वाह क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है और क्या वह मानक संबंधी ज़रूरतों को पूरा करता है?			
3	क्या उप-ठेकेदार समूह के QMS तथा संबंधित प्रक्रियाओं के अनुरूप कार्य करते हैं और क्या यह सेवा स्तर के समझौतों या अनुबंधों में निर्दिष्ट है?			

अनुलग्नक D

GAP एवं GFCEP के अंतर्गत अनुमन्य प्रदूषकों के स्तर

1. भारी धातुएं

क्र.सं.	मानदंड	अनुमन्य सीमा
1.	लेड (Pb)	10 ppm
2.	कैडमियम (Cd)	0.3 ppm
3.	आर्सेनिक (As)	3 ppm
4.	पारा (Hg)	1 ppm

2. अफ्लाटाॉक्सिन

क्र.सं.	अफ्लाटाॉक्सिन	अनुमन्य सीमा
	B1	0.5 ppm
2.	G1	0.5 ppm
3.	B2	0.1 ppm
4.	G2	0.1 ppm

3. कीटनाशकों के अवशेष

पदार्थ	सीमा (मि.ग्रा./कि.ग्रा.)
एलाक्लोर	0.02
एल्लिडिन एवं डील्लिडिन (योगफल)	0.05
अजिन्फॉस-मेथिल	1.0
ब्रोमोप्रोपाइलेट	3.0
क्लोरडेन (सिस-, ट्रांस- तथा ऑक्सीथ्लोरडेन का योगफल)	0.05
Chlorfenvinphos	0.5
क्लोरपारिफॉस	0.2
क्लोरपारिफॉस-मेथिल	0.1
साइपरमेथ्रिन (एवं आइसोमर)	1.0
DDT (p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE तथा p,p'-TDE का योगफल)	1.0
डेल्टामेथ्रिन	0.5
डाइक्लोवॉस	1.0
डाइथायोकार्बनेट्स (as CS ₂)	2.0
एंडोसल्फान (आइसोमर तथा एंडोसल्फान सल्फेट का योगफल)	3.0
एंड्रिन	0.05
एथिऑन	2.0
फेनिट्रोथिऑन	0.5
फेनवैलरेट	1.5
Fonofos	0.05
हेप्टाक्लोर (हेप्टाक्लोर तथा हेप्टाक्लोरेपॉक्साइड का योगफल)	0.05
हेक्साक्लोरोबेन्ज़ीन	0.1
हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन आइसोमर (γ के अलावा)	0.3
लिन्डेन (γ- हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन)	0.6
मेलाथिऑन	1.0
मेथिडाथिऑन	0.2
पैराथिऑन	0.5
पैराथिऑन-मेथिल	0.2
परमेथ्रिन	1.0
फोसालोन	0.1
पिपेरोनिल ब्युटॉक्साइड	3.0
पिरिमीफॉस-मेथिल	4.0
पाइरेथ्रिन्स (योगफल)	3.0
क्विक्लोज़ीन (क्विक्लोज़ीन, पेंटाक्लोरोएनाइलीन एवं मेथिल पेंटाक्लोरोफिनाइल सल्फाइड का योगफल)	1.0

4. सूक्ष्मजैविक संदूषण

क्र.सं.	मानदंड	अनुमन्य सीमा
1.	स्टेफाइलोकोकस औरिअसा।	अनुपस्थित
2.	सैल्मोनेल्ला sp./g .	अनुपस्थित
3.	स्यूडोमोनास एडिरियुजिनोसा।g	अनुपस्थित
4.	इसेरिचिया कोली	अनुपस्थित
5.	टोटल माइक्रोबियल प्लेट काउंट (TPC)	$10^5/g^*$
6.	टोटल यीस्ट एवं मॉल्ड	$10^3/g$

*स्थानिक उपयोग के लिए, सीमा $10^7/g$ होनी चाहिए.

संशोधन रिकॉर्ड शीट

क्र. सं.	संशोधन की तिथि	संशोधन का विवरण	संशोधन करने वाले का नाम	सत्यापित करने वाले का नाम
1	11-नवंबर-16	परिच्छेद 3, विकल्प 3 और विकल्प 4 शामिल किए गए	Sona Sharma (SS)	Anil Jauhri (AJ)
2	11-नवंबर-16	परिच्छेद 4.17 , d, K, I ज़रूरतें शामिल की गईं	SS	AJ
3	11-नवंबर-16	परिच्छेद 4.2.4.1 मिटाया गया	SS	AJ
4	11-नवंबर-16	शामिल किया गया: परिच्छेद 4.4 - निगरानी का समय प्रमाणन की जाने वाली कुछ फसलों की कटाई के समय के निकट ही निर्धारित किया जाना चाहिए।	SS	AJ
5	11-नवंबर-16	शामिल किया गया: परिच्छेद 4.4.3 - समस्त CCCC जांच-सूची (अनुलग्नक A & B) की कवरेज जैसा लागू हो	SS	AJ
6	11-नवंबर-16	परिच्छेद 4.5.2 - अपडेट किया गया: प्रमाणन निकाय प्रत्येक प्रमाणन चक्र के दौरान बाजार तथा स्थल से प्रमाणित फसल का कम से कम एक नमूना प्राप्त करेगी जिनमें से 50% नमूने बाज़ार से होने चाहिए। यदि बाज़ार के नमूने उपलब्ध नहीं हैं, तो वे उत्पादकों / संग्राहकों से लिए जा सकते हैं लेकिन इसका सहारा एक वर्ष में प्रत्येक उत्पाद / उत्पादन के लिए बाजार से रिकॉर्ड किए गए औचित्य के साथ निर्यात जैसी असाधारण स्थितियों में लिया जाना चाहिए।	SS	AJ
7	11-नवंबर-16	परिच्छेद 4.5.3 शब्द - किसान/संग्राहक शामिल किया गया तथा शब्द इकाई मिटाया गया	SS	AJ
8	11-नवंबर-16	परिच्छेद 5.2.3 शामिल किया गया	SS	AJ
9	11-नवंबर-16	परिच्छेद 5.2.5.1 - शामिल किया गया "बाह्य मूल के अभिलेख " और मिटाया गया "बाह्य मानक, उदाहरण के लिए वर्तमान GAP नियामक अभिलेख "	SS	AJ

10	11-नवंबर-16	परिच्छेद 5.2.6 अपडेट किया गया "ii) QMS के GAP ज़रूरतों के अनुपालन से संबंधित रिकॉर्ड कम से कम 3 वर्ष के लिए रखे जाएंगे। (2 से 3 वर्ष में बदलाव किया गया)	SS	AJ
11	11-नवंबर-16	परिच्छेद 5.2.8.2 - अपडेट किया गया	SS	AJ
12	11-नवंबर-16	परिच्छेद 5.2.8.2 - j-n बिंदु शामिल किए गए	SS	AJ
13	11-नवंबर-16	परिच्छेद 5.4.2 शामिल किया गया	SS	AJ
14	11-नवंबर-16	परिच्छेद 5.4.6.3 - नमूने का आकार 50% से 10% तक घटा दिया गया और सीबी द्वारा किया जाने वाला मूल किसान का नियमित घोषित निरीक्षण पहले निर्दिष्ट 5% से 10% कर दिया जाएगा।	SS	AJ
15	11-नवंबर-16	परिच्छेद 7.3.1 - शामिल किया गया - "सफाई सामग्री/जोखिमयुक्त पदार्थों के लिए सुरक्षित भंडारण सुविधाएं प्रदान करना।".	SS	AJ
16	11-नवंबर-16	परिच्छेद 7.3.2,7.3.3,7.3.4,7.3.5,7.4,7.5,7.6 शामिल किए गए	SS	AJ
17	07-सितंबर-17	परिच्छेद 4.2.4.2 अपडेट किया गया, पैराग्राफ शामिल किया गया, पैराग्राफ शामिल किया गया	SS	AJ
18	07-सितंबर-17	परिच्छेद 5.4.5.1 अपडेट किया गया, पॉइंटर c, d, e शामिल किए गए	SS	AJ